अड़तीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

(13.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/अग्रहायण, 1944(शक)

सीपीबी. सं. 1 खंड XXXVIII

©2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित।

<u>विषय-सूची</u>

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन.. (ii)

प्राक्कथन.. (iii)

प्रतिवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए अनुरोध और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के विषय में श्री भवर सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन। 1

अनुबन्ध

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के दिनांक 7.1.2020 के पत्र की प्रति 101

(ii) 2015 से 2019 के दौरान पीएमवाई-जी के तहत आवासों के आवंटन के लिए अभ्यावेदनों की संख्या को दर्शाने वाली राज्य-वार एवं वर्ष-वार सूची। 102

परिशिष्ट

(i) याचिका समिति की 19.5.2022 को हुई 21वीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 103

(ii) याचिका समिति की 12.12.2022 को हुई 25वीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 112

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ
6. डॉ. जयंत कुमार राय
7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. श्री बृजेन्द्र सिंह
9. श्री सुनील कुमार सिंह
10. श्री सुशील कुमार सिंह
11. श्री मनोज कुमार तिवारी
12. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
13. श्री राजन बाबूराव विचारे
14. रिक्त
15. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री आनंद कुमार हाँसदा - सहायक कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए अनुरोध और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के विषय में श्री भवर सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति का यह अड़तीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 12 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में 38वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;

<u>12 दिसंबर, 2022</u>
21 अग्रहायण, 1944(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए अनुरोध और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के विषय में श्री भवर सिंह का अभ्यावेदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए अनुरोध और उससे सम्बंधित अन्य मुद्दों पर श्री भवर सिंह ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

2. श्री भवर सिंह, हुसैनमई गांव, चायल तहसील, मूरतगंज ब्लॉक, कौशाम्बी जिले (उत्तर प्रदेश) के निवासी ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र की आम जनता के बीच केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाने के संबंध में आ रही समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। श्री सिंह ने अपने अभ्यावेदन में जोर देकर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत घर प्रदान किए जाने चाहिए। श्री सिंह ने हथियाभेट गांव, चायल तहसील, मौरातगंज ब्लॉक, कौशाम्बी जिले (उत्तर प्रदेश) के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की 22 महिलाओं सहित पात्र उम्मीदवारों की सूची को प्रेषित करते हुए बताया कि वे गरीब हैं और उनके पास जर्जर घर हैं और इसलिए पीएमएवाई-जी लाभों के लिए पात्र हैं। तथापि, उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवास आवंटित नहीं किए गए हैं। इसलिए, अभ्यावेदनकर्ता श्री भवर सिंह ने अधिकारियों द्वारा जांच और उनकी पात्रता के सत्यापन के बाद इन लोगों को पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि इन गरीब लोगों को न्याय मिल सके।

3. याचिका समिति ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश 95 के तहत श्री भवर सिंह के अभ्यावेदन पर विचार किया। तदनुसार, अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को भेजा गया था।

4. इसके उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) (ग्रामीण आवास प्रभाग) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं जे-11060/12/2018-आरएच, दिनांक 7 जनवरी, 2020 के माध्यम से इस मामले में निम्नवत टिप्पणियां की: –

"श्री भवर सिंह का अभ्यावेदन प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास आवंटन के अनुरोध से सम्बंधित है।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 1 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों पर आधारित है, जो ग्राम सभा और अपीलीय प्रक्रिया द्वारा सत्यापन के अधीन है। पात्र परिवारों को योजना के अंतर्गत आवासों के आवंटन सहित जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क और इस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, आवेदकों की पात्रता की जांच करने की आवश्यक कार्रवाई और इस मंत्रालय को सूचित करते हुए उत्तर देने के लिए श्री भवर सिंह के अभ्यावेदन को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। राज्य सरकार को भेजे गए पत्र की प्रति अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, चूंकि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन कर रहा है, इसलिए पीएमएवाई-जी (पूर्ववर्ती आईएवाई) के अंतर्गत आवासों के आवंटन के लिए अभ्यावेदन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रेषित किए जा रहे हैं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके और इस मंत्रालय को सूचित करते हुए आवेदकों को सीधे उत्तर प्रदान किया जा सके। जैसा कि अनुरोध किया गया है, पिछले 5 वर्षों (2015 से 2019) के दौरान पीएमएवाई-जी (पूर्ववर्ती आईएवाई) के तहत आवासों के आवंटन के लिए अभ्यावेदनों की

संख्या को दर्शाने वाली एक सूची राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रेषित की गई है, जिसे अनुपत्र-II के रूप में संलग्न किया गया है।

5. समिति द्वारा पीएमएवाई-जी पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

सभी आवास को आधारभूत मानवीय आवश्यकता मानते हैं। ग्रामीण आवास की कमी को दूर करना और विशेषकर गरीबों के लिए आवास की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार की गरीबी उपशमन कार्यनीति का महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, 2016 तक कार्यान्वित की गई इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को आवास उपलब्ध कराना था। आईएवाई के अंतर्गत, शुरुआत से. कुल 1,06,798.93 करोड़ रुपए के व्यय से 360 लाख ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई।

ग्रामीण आवास योजना का पुनर्गठन

पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना में मौजूद कमियों को दूर करने के उद्देश्य से और 2022 तक "सभी के लिए आवास की सरकार की प्राथमिकता के संदर्भ में, ग्रामीण आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाईजी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जो कि 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हुई। वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति चरणों में की जानी है। पहले चरण (2016-17 से 2018-19) के अंतर्गत 1.00 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य था जबकि चरण 11 (2019-20 से 2021-22) में 1.95 करोड़ पीएमएवाईजी मकानों के निर्माण का लक्ष्य है।

पीएमएवाईजी की मुख्य विशेषताएं

(i) पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(क) मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख जैसे पर्वतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता ।

(ख) इसके अतिरिक्त लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए सहायता के रूप में 12,000 रुपये तथा तालमेल के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 90 श्रम दिवसों तथा पर्वतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 95 श्रम दिवसों की सहायता मिलेगी।

(ग) एक मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होगा।

(घ) लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी 2011) के डाटा के अनुसार आवास अभाव पैरामीटरों और आवास डाटा के आधार पर ग्राम सभा के माध्यम से की जाती है। तदनुसार, एसईसीसी 2011 के डाटा तथा आवास+ डाटा के अनुसार स्वतः बहिर्वेशन श्रेणी में आने वाले परिवारों का बहिर्वेशन करने तथा ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद बेघर परिवारों या कच्ची दीवारों एवं कच्ची छत वाले दो या इससे कम कमरों के मकानों में रह रहे परिवारों को पीएमएवाईजी के अंतर्गत सहायता दी जाएगी।

(ङ) पीएमएवाई जी की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकारों की भागीदारी का अनुपात मैदानी क्षेत्रों में 60:40 है। पूर्वोत्तर राज्यों और दो हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में वित्तपोषण में भागीदारी का यह अनुपात 90:10 है। शेष संघ राज्य क्षेत्रों में शत-प्रतिशत लागत को केंद्र सरकार वहन करती है।

(च) पीएमएवाईजी के अंतर्गत जारी की गई अधिकतम दो प्रतिशत निधियों का उपयोग इस योजना के संचालन के किया जा सकता है। प्रशासनिक खर्चा के अंतर्गत व्यय की पात्र मदों में लाभार्थियों को जानकारी प्रदान करने, योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और निगरानी की लागत, पीएमयू की स्थापना और प्रचालन की लागत, राजमिस्त्रियों इत्यादि को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करने की लागत शामिल हैं।

(छ) पीएमएवाई-ज के लिए वार्षिक बजटीय अनुदान से 95 प्रतिशत निधियां पीएमएवाईजी के अंतर्गत नए मकानों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। इन निधियों में प्रशासनिक वर्षों के लिए दो प्रतिशत आवंटन भी शामिल है, जिसमें से 1.70 प्रतिशत निधियां राज्य राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है और 0.3 प्रतिशत निधियां केंद्रीय स्तर पर रख ली जाती है। इस बजटीय अनुदान का 5% भी विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षी निधिय के रूप में केंद्रीय स्तर पर रख लिया जाता है। विशेष परियोजनाओं के लिए राज्य निम्नलिखित के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं:-

i. जिन परिवारों के घर निम्नलिखित के कारण पूर्णतः अधिकांशतः क्षतिग्रस्त हो गए हो, उन परिवारों का पुनर्वास/पुनर्स्थापनः-

क. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना में यथा वर्गीकृत प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, भूकंप, आग लगता इत्यादि।

ख. विधि व्यवस्था संबंधी समस्याएं।

ii. निम्नलिखित से प्रभावित /लाभान्वित परिवारों का पुनर्स्थापनः-

क. अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दे।

ख. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों कि मान्यता) अधिनियम, 2006।

ग. सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस जैसे व्यवसाय से जुड़े रोगों, कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से प्रभावित लोग।

iii. आत्म समर्पण करने वाले आतंकियों और उनके परिवारों को बसाना।

IV नई प्रौद्योगिकी का निदर्शन – विशेषकर किफायती और हरित प्रौद्योगिकियों तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने वाली प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए।

ज. राष्ट्रीय स्तर पर 60% लक्ष्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जाना होता है। इसे बनाए रखने के लिए एसईसीसी 2011 की सूची तथा ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के अनुसार तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित लक्ष्य में से 60 प्रतिशत लक्ष्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जाना होता है। निर्धारित लक्ष्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात का निर्धारण समय-समय पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को करना होता है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर यथासंभव कुल निधियों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए भी निर्धारित किया जाना होता है। नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य यथासंभव यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य स्तर पर 5 प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांग हों।

() पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों का चयन

(क) पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार आवास अभाव पैरामीटरों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन एसईसीसी के आँकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार और शून्य, एक या दो कमरों के कच्चे मकानों में रह रहे परिवार शामिल होंगे।

(ख) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की प्राथमिकता का निर्धारण श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक

और अन्य परिवारों के आधार पर किया जाता है। परिवारों की श्रेणी-वार प्राथमिकता का निर्धारण बेघर परिवारों और उनके बाद शून्य, एक और दो कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के आधार पर किया जाना होता है।

(ग) इस प्रकार तैयार की गई प्राथमिकता सूचियों का सत्यापन ग्राम सभा यह जाँचने के लिए करती है कि उनमें अपात्र लाभार्थी न हों और प्राथमिकता में बदलाव न किए गए हों। उपर्युक्त बदलाव दर्शाने वाले ग्राम सभा के कार्यवृत्त के आधार पर सूची में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित इन सूचियों का ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। नाम हटाए जाने या रैंकिंग में बदलाव संबंधी शिकायतें राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय समिति को प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो ऐसी शिकायतों का निपटान करेगी।

(घ) अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायत की श्रेणी-वार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को अंतिम रूप देकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है और इसे पीएमएवाई-जी की वेबसाइट में दर्ज किया जाता है।

() आवास+

एसईसीसी-2011 में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होते हुए भी पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल न हुए लाभार्थियों की पहचान करने (पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार पीएमएवाई-जी के लाभार्थी बनाने के लिए आवश्यक सभी पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए) और पात्र परिवारों की अतिरिक्त सूची तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मोबाइल अनुप्रयोग ''आवास+ द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से यह सर्वेक्षण कार्य किया था। यह सर्वेक्षण जनवरी, 2018 में शुरू हुआ था (दिनांक 24 जनवरी, 2018 का पत्र) और आंकड़े एकत्र करने के इस कार्य के समापन के लिए राज्यों को शुरूआत में 31 मार्च, 2018 की समय-सीमा दी गई थी। इस समय-सीमा को 30 जून, 2018, 30 सितंबर, 2018, 30 नवंबर, 2018 और अंततः 7 मार्च, 2019 तक 4 बार बढ़ाया गया। दिनांक 07 मार्च, 2019 की इस समय-सीमा के बाद बाढ़ और चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों को आवास+ की विशेष विंडो उपलब्ध कराई गई थी। आवास+ सर्वेक्षण में कुल 3.57 करोड़ परिवारों का ब्यौरा दर्ज किया गया।

आवास+ पर 3.57 करोड़ पंजीकरणों की इस सूची में से वास्तव में वंचित परिवारों का चयन करने की आवश्यकता थी, ताकि उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा सकें और

इसीलिए 2 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया (इन 2 विशेषज्ञ समितियों की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशें अवलोकनार्थ संलग्न है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान करते समय 2.95 करोड़ लाभार्थियों की उच्चतम सीमा के अधीन रहते हुए आवास+ सूची से अतिरिक्त पात्र परिवारों को पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करने को भी अनुमोदित किया था। मंत्रालय ने अंतिम आवास+ सूचियों से लक्ष्यों के आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति भी प्राप्त कर ली है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतिम आवास+ सूचियों से कुल 63,67,672 मकानों का लक्ष्य आबंटित किया है। ये लक्ष्य आवास+ पर विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत नई पहलें

(i) **लाभार्थियों के निर्धारण के लिए एसईसीसी का प्रयोग** - ग्रामीण विकास विभाग ने एसईसीसी 2011 के ऑकड़ों के आधार पर पीएमएवाईजी के लाभार्थियों के निर्धारण और चयन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। पात्र लाभार्थियों के निर्धारण के लिए वस्तुनिष्ठ तरीके से सत्यापन योग्य मानदंडों का प्रयोग किए जाने से पारदर्शिता बढ़ी है तथा चयन में विवेकाधिकार के प्रयोग की गुंजाइश कम हुई है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत पात्रता का अब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों से कोई लिंक नहीं रह गया है।

(ii) राज्य स्तर पर समर्पित खाता: सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण आवास योजना पीएमएवाईजी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक समर्पित खाता रखते हैं, जिससे इस योजना से जुड़े सभी भुगतान निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाते हैं।

(iii) पीएमएवाई-जी योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य/जिला / ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन, निगरानी और निर्माण की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के कार्य करने के लिए समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पीएमयू) की स्थापना की है। राज्य पीएमयू का नेतृत्व राज्य नोडल अधिकारी करते हैं, जिनकी सहायता लाइन विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्ति और संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले कार्मिक करते हैं। जिला और ब्लॉक स्तरीय पीएमयू के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है।

(iv) राज्यों को वार्षिक आवंटन भारत सरकार के स्तर पर गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर किया जाता है। राज्य वर्ष के लिए आवंटित लक्ष्य के आधार पर जिला पंचायत लक्ष्य तय करते हैं।

(v) विधवा/विधुर/अविवाहित जीवनसाथी से अलग हो चुके व्यक्ति के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मकान का आवंटन पति और पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाना होता है। राज्य केवल महिला के नाम से मकान के आवंटन के विकल्प का चयन भी कर सकते हैं। भूमिहीन परिवार के मामले में, राज्य पति और पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि के पंजीकरण में भी सहायता कर सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के कोटे से चयनित लाभार्थियों के मामले में आवंटन केवल ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के नाम से किया जाना चाहिए।

(vi) पीएमएवाईजी मकान का निर्माण स्वयं लाभार्थी करेगा / करेगी या अपने पर्यवेक्षण में मकान का निर्माण कराएगा / कराएगी। राज्य को मकानों के निर्माण में किसी ठेकेदार की सेवाएं नहीं लेनी चाहिए। विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए जाने के मामलों को छोड़कर, अन्य मामलों में मकान का निर्माण किसी सरकारी विभाग/ एजेंसी से भी नहीं कराया जाएगा। जिन मामलों में लाभार्थी बुजुर्ग या असमर्थ या दिव्यांग है और इसीलिए स्वयं मकान का निर्माण कराने की स्थिति में नहीं है, उन मामलों में ऐसे मकानों का निर्माण राज मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। यदि अब भी कुछ लाभार्थी छूट जाते हैं तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन लाभार्थियों के मकानों के निर्माण में सहायता ग्राम पंचायतों या जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से की जाए।

(vii) व्यापक मूल्यांकन और निगरानी शासन समाधानों का प्रयोग

क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): पीएमएवाईजी के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता आवाससॉफ्ट- पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक तरीके से अंतरित की जाती है। इससे निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में निधियों का इलैक्ट्रॉनिक तरीके से निरंतर अंतरण सुनिश्चित हुआ।

(ख) मकानों के निरीक्षण के लिए मंत्रालय ने मोबाइल अनुप्रयोग आवासऐप को शुरू किया है। इस अनुप्रयोग से कर्मचारी और नागरिक निर्माण के विभिन्न चरणों में मकान के जियो-टैग, टाइम और डेट स्टैंप किए हुए फोटो लेकर अपलोड कर सकते हैं, जिससे सत्यापन में लगने वाली समयावधि में कमी आई है। मंत्रालय ने इंटरनेट की अनुपलब्धता या सीमित इंटरनेट

बैंडविथ की बाधा को दूर करने के लिए इस ऐप में डाटा दर्ज करने और भेजने के लिए ऑफलाइन मॉड्यूल भी तैयार किया है। पीएमएवाई जी के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता की रिलीज़ के लिए आवासऐप की सहायता से जियो- रेफरेन्स वाले फोटो लेने और उन्हें आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने को अनिवार्य कर दिया गया है। आवाससॉफ्ट पर जियो टैग किए हुए न्यूनतम 5 फोटोग्राफ अपलोड किए जाने हैं। इन फोटोग्राफी का ब्यौरा इस प्रकार है :-

- मौजूदा मकान
- वह स्थान जहाँ मकान का निर्माण किया जाना है।
- बुनियाद/प्लिंथ लेवल
- विडोसिल /लिंटेल/रूफकास्ट लेवल
- निर्मित मकान।

ग. योजनाओं के साथ तात्कालिक तालमेल संभव बनाना - स्वीकृत किए गए प्रत्येक पीएमएवाईजी मकान के संबंध में नरेगा कार्य के सृजन को संभव बनाने के लिए नरेगा सॉफ्ट के साथ रीयल टाइम वेब लिंक विकसित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभार्थी मनरेगा के साथ तालमेल के अंतर्गत पीएमएवाईजी मकान के निर्माण के लिए अकुशल श्रम के 90/95 श्रमदिवसों के भुगतान का अपना दावा कर सकता/सकती है।

घ. लाभार्थियों, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और निगरानीकर्ताओं को अनुरोध पर सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एमआईएस आवाससॉफ्ट में एसएमएस आधारित सूचना पुन प्राप्ति और आवेदन स्थिति संबंधी मॉड्यूल इनेबल किया गया है।

(viii) तालमेलः आधारभूत सुविधाओं के लिए तालमेल सुनिश्चित किया जाना होता है, ताकि पीएमएवाई- जी के लाभार्थी को आवास के अतिरिक्त आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हो पाएं। आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए पीएमएवाईजी के साथ जिन योजनाओं का तालमेल किया जाना है, उन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क) शौचालय के निर्माण को पीएमएवाईजी मकान का अनिवार्य घटक बना दिया गया है। शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (जी). मनरेगा से वित्तपोषण या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से करना होता है। शौचालय का निर्माण हो जाने के बाद ही मकान के निर्माण को पूरा हुआ माना जाता है।

ख) यह अनिवार्य है कि पीएमएवाईजी के लाभार्थी को मनरेगा के साथ तालमेल के अंतर्गत मकान के निर्माण के लिए वर्तमान दरों पर 90 श्रमदिवसों (पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 95 श्रमदिवसों) का अकुशल मजदूरी घटक प्राप्त हो।

ग) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के दिशानिर्देशों में आशोधन किए गए हैं, जिनके अनुसार पीएमएवाईजी का लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शन प्राप्त करने का हकदार है। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के लाभार्थियों के निर्धारण का आधार एक ही पैरामीटर अर्थात एसईसीसी 2011 के आँकड़े हैं, जिससे पीएमएवाई जी के सभी लाभार्थी सौभाग्य के अंतर्गत बिजली कनैक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

घ) पीएमएवाईजी के लाभार्थी को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) सहित के साथ तालमेल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

ङ) राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि पीएमएवाईजी के लाभार्थियों को सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और फैमिली साइज़ बायो-गैस प्लांटों संबंधी नैशनल बायोमास बुकस्टोव प्रोग्राम (एनबीसीपी) के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लाभ मिलें।

च) राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन (जी) या अपनी किसी अन्य योजना के साथ तालमेल के माध्यम से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित कर सकती है।

(छ) भवन निर्माण सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य मनरेगा के साथ तालमेल के माध्यम से ईंटों इत्यादि जैसी भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तैयार की गई भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को उत्पादन लागत पर की जा सकती है।

ज) राज्य मनरेगा के साथ तालमेल के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि या पर्यावासों का विकास, मृदा परिरक्षण एवं संरक्षण, बायो-फेन्सिंग, मकान तक खड़जे वाले मार्ग, सड़कों या सीढ़ियों का निर्माण इत्यादि सुनिश्चित कर सकते हैं।

तालमेल के लिए योजनाओं की उपर्युक्त सूची व्याख्यात्मक है और राज्य सरकार अपनी तथा केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ भी पीएमएवाईजी के तालमेल की पहल शुरु कर सकती है, ताकि उन योजनाओं के लाभ पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को प्राप्त हो पाएं।

(X) राज मिस्त्री प्रशिक्षण: यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित मकानों की गुणवता अच्छी हो, ग्रामीण राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन पर विशेष जोर दिया गया है। इससे न केवल पीएमएवाईजी के अंतर्गत निर्मित मकानों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित हुई, बल्कि प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों को आजीविकाओं के अवसर भी प्राप्त हुए।

(X) मकान डिजाइन टाइपोलोजियां: पीएमएवाईजी का एक मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र टिकाऊ और आपदारोधी मकान का निर्माण करना और लाभार्थियों के मकान के निर्माण के विषय में जानकारियाँ के आधार पर विकल्पों के चयन में उन्हें विश्वसनीय सहायता प्रदान करना है।

राज्यों को लाभार्थियों को उनके निवास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त मकान डिजाइनों और प्रौद्योगिकियों के विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। मकान के मूल डिजाइन में स्वच्छ रसोई के लिए समर्पित स्थान और शौचालय एवं स्नान क्षेत्र भी शामिल होने चाहिए। मकान की छत और दीवारे लाभार्थी के निवासस्थान की जलवायु संबंधी परिस्थितियों को सहने के लिए मजबूत होनी चाहिए और भूकंप, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि को सहने के लिए आपदारोधी विशेषताएं (जहाँ कही आवश्यक हो) मकान में शामिल होनी चाहिए।

लाभार्थी को मकान के निर्माण के लिए सहायता के स्वीकृति पत्र के साथ निर्धारित मकान डिजाइनों और प्रौद्योगिकियों के विकल्पों की सूची भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे भी शामिल होंगे:

क) प्रत्येक निर्धारित मकान डिजाइन के बुनियाद, लिंटेल लेवल, छत इत्यादि जैसे निर्माण के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की मात्रा और अनंतिम लागत ।

ख) प्रशिक्षित राज-मिस्त्रियों और उनके संपर्क सूत्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

ग) बनाए गए निदर्शन मकान के स्थान की जानकारी दी जाएगी, ताकि लाभार्थी प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सके।

ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में यूएनडीपी और आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम और राजस्थान नामक 18 राज्यों में उन मकान डिजाइनों के निर्धारण के लिए अध्ययन किए थे, जो टिकाऊ हो, स्थानीय जलवायु, सांस्कृतिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से किफायती हो और जिनमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भवन-निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता हो और जो आपदारोधी हों। प्रत्येक राज्य को स्थानीय सामग्री और प्रौद्योगिकियों, आपदाओं/खतरों की आशंका, मकान डिजाइनों से जुड़े आजीविका पहलुओं और मौजूदा सामुदायिक कौशलों के आधार पर विभिन्न आवास अंचलों में बांटा किया गया है। किसी राज्य में आवास अंचलों के निर्धारण में मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक पद्धतियों को भी ध्यान में रखा गया है। उपर्युक्त राज्यों में विभिन्न अंचलों के लिए विभिन्न उपयुक्त मकान डिजाईनों का निर्धारण किया गया है।

इसके अलावा, लाभार्थियों के मकान के निर्माण कार्य में उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं या भवन निर्माण केंद्रों की पहचान कर सकती है। निर्धारित की गई संस्था मकान के आबंटन के समय लाभार्थियों को उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध मकानों के उन डिजाइनों और निर्माण प्रौद्योगिकियों की जानकारी दे सकती है, जिन्हें लाभार्थी अपने मकान के निर्माण के लिए अपना सकता/सकती है। इसके अतिरिक्त, उस संस्था को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और निगरानी के कार्य में शामिल किया जा सकता है। निर्धारित की गई संस्था मकान के निर्माण और समापन में भी लाभार्थी की सहायता कर सकती है।

यथासंभव ब्लॉक स्तर पर चयनित लाभार्थियों को सहायता की राशि, चरण-वार किस्तों की राशि, लाभार्थियों के क्षेत्र के लिए उपलब्ध उपयुक्त मकान डिजाइन की श्रेणी के विभिन्न विकल्पों, उनकी बस्ती में मकानों में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक आपदा रोधी विशेषताओं, शुरूआत में मकान के मूल ढांचे के निर्माण की आवश्यकता, प्रत्येक चरण में निर्माण के लिए

आवश्यक सामग्री की अनुमानित मात्रा, कुशल राजमिस्त्रियों के संपर्क ब्यौरे के साथ उनकी उपलब्धता, यथोचित दर पर निर्माण सामग्री की खरीद के स्रोत, ब्याज दर, ऋण अदायगी अवधि के ब्यौरे के साथ संस्थागत ऋण के उपलब्धता के स्रोतों, आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता इत्यादि सहित आवास निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तारीख (जोकि सभी वर्षों में एक समान हो सकती है) को राज्यों को देनी है।

राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मकान डिजाइनों के वे विकल्प लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हैं, जिनमें उनके नए मकान के निर्माण के लिए उपयुक्त भवन निर्माण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए।

मकानों के निर्माण कार्यों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता आवश्यक है। ग्रामीण राजमिस्त्रियों की प्रशिक्षण की आयोजना और संचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के ग्रामीण राजमिस्त्री क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी) के अनुसार प्रदान किया जाना है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को लक्ष्यों के विषय में प्राप्त जानकारी और स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के आधार पर आवश्यक निर्माण सामग्री की जिला-ब्लॉक/वार मात्रा का निर्धारण करना है। लाभार्थियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करा सकती है। राज्य एकमुश्त खरीद के लिए जिला स्तर पर भवन निर्माण सामग्री बैंकों की स्थापना पर भी विचार कर सकती है।

यदि लाभार्थी चाहे तो उसे वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

(Xi) स्थल हाउसिंग नॉलेज नेटवर्क - ग्रामीण आवास के लिए किफायती और स्थायी समाधानों से संबंधित व्यवसायियों, संस्थाओं और पद्धतियों का व्यापक राष्ट्रव्यापी अद्यतनीकरणीय संग्रह का संकलन तैयार करने और पब्लिक डोमेन में बहु-भाषी वेब पोर्टल तैयार करने के उद्देश्य से आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से सरल हाउसिंग नॉलेज नेटवर्क' का शुभारंभ किया गया। यह ग्रामीण आवास के विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ तैयार किया गया और उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सवाल-जवाब आधारित प्लेटफॉर्म है। आरएचकेएन देश के विभिन्न भू- जलवायु अंचलों की जमीनी समस्याओं को समझने के लिए मकान मालिकों, राज- मिस्त्रियों, पंचायतों,

जिला और राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट निकायों और शिक्षाविदों के साथ सक्रिय सहयोग कर रहा है। संग्रह तैयार करने के लिए राज्य-वार मकान डिजाइन टाइपोलोजियों/प्रौद्योगिकियों का दस्तावेजी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, जिससे पीएमएवाईजी लाभार्थियों को उपलब्ध विकल्पों की सूची का विस्तार होने के अतिरिक्त टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण मकानों के निर्माण में ग्रामीण आवास व्यवसायियों को सहायता मिलेगी। यह वेबसाइट एनआईसी द्वारा होस्टिंग के लिए शिफ्ट की जा रही है।

(xii) स्थायी प्रतीक्षा सूची का अद्यतनीकरण

क) ग्राम सभा संकल्प के कार्यवृत्त में प्राथमिकता सूची में जोड़े जाने के लिए उन परिवारों के विषय में अपनी राय दर्ज कर सकती है, जिन्हें एसईसीसी सूची में शामिल नहीं किया गया है और जिन परिवारों को एसईसीसी सूची में शामिल होने के बावजूद प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है।

ख) इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा का समर्थन पाने वाले दावाकर्ताओं को छोड़कर अन्य दावाकर्ता ग्राम सभा का संकल्प पारित होने की तारीख से छह महीनों की अवधि में अपने दावे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग) सक्षम प्राधिकारी इन दावों की जाँच करके रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को अपीलीय समिति को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करेगा। घ) दावे के गुण-दोषों के आधार पर अपीलीय समिति इन परिवारों को पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों में शामिल करने की सिफारिश कर सकती है।

घ) दावे के गुण-दोषों के आधार पर अपीलीय समिति इन परिवारों को पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों में शामिल करने की सिफारिश कर सकती है।

(ङ) अपीलीय समिति की सिफारिश के अनुसार लाभार्थियों में शामिल किए गए ग्राम पंचायत और समुदाय-वार परिवारों की अतिरिक्त स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जा सकती है।

च) पीएमएवाईजी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क में उन परिवारों के निर्धारण की प्रक्रिया का प्रावधान भी है, जिन्हें एसईसीसी 2011 में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुसार पीएमएवाई जी के अंतर्गत सहायता का पात्र होने के बावजूद पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया। मंत्रालय ने ऐसे परिवारों के निर्धारण के. लिए विभिन्न एडवाइजरी भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

जारी की है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से ऐसे परिवारों का निर्धारण करने (पीएमएवाई जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार पीएमएवाईजी का पात्र लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक सभी पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए) और पात्र परिवारों की अतिरिक्त सूची तैयार करने का कार्य "आवास+" नामक मोबाइल अनुप्रयोग और आवाससॉफ्ट में शामिल एक मॉड्यूल द्वारा कर रहा है। इस कार्य को पूरा करने की अंतिम तारीख 7 मार्च, 2019 थी। तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में चक्रवातों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों / लाभार्थियों के निर्धारण के लिए आवास+ पर 15 दिनों विशेष विंडो की अनुमति दी गई थी आवास मोबाइल अनुप्रयोग द्वारा कुल 3.67 करोड़ परिवार दर्शाए गए हैं।

6. समिति द्वारा पीएमएवाई-जी के निर्माण और कार्यान्वयन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की भूमिका के साथ-साथ जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं आदि द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली और पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे के साथ-साथ पीएमएवाई-जी के तहत पात्र परिवारों की पहचान/चयन के लिए दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

2022 तक सभी के लिए आवास के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 2016-17 से प्रभावी हुई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दर्शाई गई लाभार्थियों के निर्धारण और चयन की कमियों सहित पूर्ववर्ती आवास योजना की कमियों और दोषों को पीएमएवाई-जी में दूर किया गया है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों का निर्धारण और चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी-2011) के डेटाबेस के अनुसार आवास आभाव पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के निर्धारण और चयन की प्रक्रिया तथा अपीलीय प्रक्रिया का ब्यौरा इस प्रकार है:-

() पात्र लाभार्थी

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन एसईसीसी के डाटा के अनुसार सभी बेघर परिवारों और शून्य, एक या दो कमरों के कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों

को शामिल किया जाएगा। एसईसीसी-2011 के डाटा के अनुसार बहिर्वेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) पक्की छत और/या पक्की दीवारों के मकानों में रहने वाले सभी परिवार तथा 2 से अधिक कमरों के मकानों में रहने वाले परिवार बहिर्वेशित फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं।

ख) शेष परिवारों में से उन सभी परिवारों को स्वतः बहिर्वेशित कर दिया जाता है, जो आगे सूचीबद्ध 13 पैरामीटरों में से किसी एक की भी पूर्ति करते हैं:-

i. मोटर वाले दुपहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/फिशिंग बोट।

ii. तिपहिया/चार पहियों वाले मशीनी कृषि उपकरण।

iii. 50,000 रुपए या इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।

iv. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है।

v. वे परिवार, जिनका कोई गैर-कृषि उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत है।

vi. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक कमा रहा है।

vii. आयकर का भुगतान कर रहे परिवार।

viii. व्यवसायी कर का भुगतान कर रहे परिवार।

ix जिन परिवारों के पास रैफ्रिजरेटर है।

x जिन परिवारों के पास लैंडलाइन फोन है।

xi. जिन परिवारों के पास क म से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।

xii. जिन परिवारों के पास दो या इससे अधिक फसलों के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।

xiii. जिन परिवारों के पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि है।

उपरोक्त के अलावा, अंतिम रूप से तैयार आवास+ सूचियों में संभावित लाभार्थी भी पात्र लाभार्थियों का हिस्सा हैं, जो ऊपर निर्धारित 13 बहिष्करण मानदंडों और निम्नलिखित मापदंडों के अधीन हैं:-

i. ऐसे परिवार जिनके पास पहले से ही पक्का घर है या इस अवधि में पक्का घर बना लिया है।
ii. ऐसे परिवार जिन्हें केंद्र/राज्य ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले ही लाभ मिल चुका है
iii. वे परिवार जिनका नाम किसी केंद्रीय/राज्य ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है
iv. परिवार स्थायी रूप से प्रवास कर गए
v. घर के मुखिया की मृत्यु और कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं
vi. अनिच्छुक परिवार
vii. डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना
viii. नाबालिग मुखिया वाले परिवारों के लिए, यदि माता-पिता की मृत्यु हो गई है। यदि माता-पिता जीवित हैं तो उन्हें अलग परिवार मानना उचित नहीं है
ix. ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति से किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट कारण से।

(ii) **लाभार्थियों की प्राथमिकता निर्धारण**

क. लाभार्थियों की प्राथमिकता निर्धारण श्रेणीवार अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य के रूप में किया जाता है।

ख. परिवारों का प्राथमिकता निर्धारण श्रेणीवार आवासहीनता के आधार पर किया जाता है, इसके बाद कमरों की संख्या शून्य, एक और दो कमरे वाले मकानों को रखा गया है।

ग. उपरोक्त श्रेणी-वार समूहों के भीतर, ऐसे परिवार जो स्वतः समावेशन के मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि एसईसीसी में परिभाषित किया गया है, के स्तर को और ऊंचा किया जाएगा। एसईसीसी-2011 डेटा के अनुसार स्वतः समावेशन के मानदंड निम्नानुसार हैं:-

i. आश्रयहीन परिवार

ii. निराश्रित/भिक्षा पर निर्भर रहने वाले

iii. सिर पर मैला ढोने वाले

iv. आदिम जनजातीय समूह

v. कानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर

घ. इसलिए प्रत्येक श्रेणी-वार समूहों के भीतर दो उप-समूह हैं। परिवार, जो स्वतः और अन्यथा शामिल हैं। इन दोनों उप-समूहों के भीतर परस्पर प्राथमिकता को उनके संचयी वंचन स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो कि नीचे दिए गए प्रत्येक समान महत्व वाले सामाजिक आर्थिक मापदंडों के आधार पर होगा।

i. परिवार जिसमे कोई भी वयस्क सदस्य 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच नहीं है

ii. परिवार जिसमे महिला मुखिया है और 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है

iii. परिवार जिसमे 25 साल से ऊपर आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है

iv. परिवार जिसमे कोई विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है

v. भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं

vi. उच्च वंचन स्कोर वाले परिवारों को उप समूहों के भीतर उच्च स्थान दिया गया है।

(iii) **प्राथमिकता सूची का सत्यापन**

क. इस प्रकार तैयार की गई प्राथमिकता सूचियों का ग्राम सभा द्वारा अयोग्य लाभार्थियों की जांच और प्राथमिकता में परिवर्तन के लिए सत्यापित किया जाता है। उपरोक्त परिवर्तनों को दर्शाने करने वाली ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्तों के आधार पर सूची में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

ख. यदि समान वंचन स्कोर वाले एक ही उपसमूह में एक से अधिक परिवारों के बीच टाई होता है, तो ग्राम सभा निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार परिवारों को रैंक निर्धारित करेगी:

i. कार्रवाई में मारे गए रक्षा/अर्धसैनिक/पुलिस बलों के सदस्यों की विधवाओं और नजदीकी परिजनों वाले परिवार;

ii. जिन परिवारों में कोई सदस्य कुष्ठ रोग या कैंसर से पीड़ित है और एचआईवी बाधित व्यक्ति के साथ रह रहे लोग (पीएलएचआईवी) और विकलांग व्यक्ति वाले परिवार।

iii. संतान के रूप में केवल एक बेटी वाले परिवार।

iv. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे सामान्यत: वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, के लाभार्थी परिवार।

(iv) **अपीलीय तंत्र**

(क) सत्यापन के बाद, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूचियों को ग्राम पंचायत के भीतर न्यूनतम सात दिनों की अवधि के लिए व्यापक रूप से प्रकाशित की जाती है।

(ख) सूचियों को सार्वजनिक किए जाने के बाद, नाम हटाए जाने या रैंकिंग में परिवर्तन के बारे में शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए पंद्रह दिनों की एक विंडो अवधि प्रदान की जाती है।

(ग) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के नामिती और जिला स्तर पर कम से कम एक गैर-सरकारी सदस्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अपीलीय समिति का गठन करेगी, इस प्रयोजनार्थ नामित नामित अधिकारी द्वारा शिकायतों को जांच के बाद समिति को भेजा जाता है।

(घ) अपीलीय समिति शिकायतों पर विचार करेगी, नाम हटाए जाने या रैंकिंग में बदलाव के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगी और एक निश्चित समय के भीतर इसका समाधान करेगी।

(ङ) अपीलीय समिति के निर्णय के बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी और उसका व्यापक रूप विज्ञापित किया जाएगा। स्थायी प्रतीक्षा सूची भी पीएमएवाई की वेबसाइट पर डाली जाएगी।

7. समिति द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत बुनियादी सुविधाओं वाले 'पक्के' मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में निम्नवत बताया –

क्र.सं.	राज्य की नाम	चरण-I					
		2016-17		2017-18		2018-19	
		ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य	पूर्ण किए गए कार्य	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य	पूर्ण किए गए कार्य	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य	पूर्ण किए गए कार्य
1	अरुणाचल प्रदेश	9034	0	2187	0	0	85
2	असम	219695	249698	40119	55404	0	163915
3	बिहार	637658	688870	538959	312763	0	715561
4	छत्तीसगढ़	232903	124964	206372	377023	348960	341439
5	गोवा	427	594	0	7	0	28
6	गुजरात	113595	39840	91108	99834	0	84437
7	हरियाणा	11904	16859	9598	10904	0	7199

8	हिमाचल प्रदेश	4748	4461	2447	3910	0	3151
9	जम्मू और कश्मीर	15111	3136	19736	2221	0	14918
10	झारखंड	230855	143499	159052	197031	138884	284474
11	केरल	22178	71053	6727	19166	0	15640
12	मध्य प्रदेश	448147	367284	389532	662700	565914	705949
13	महाराष्ट्र	230422	136818	150934	187931	68464	230196
14	मणिपुर	9740	869	0	932	0	7663
15	मेघालय	17030	7046	3715	2544	0	12347
16	मिजोरम	4806	537	1794	1631	0	925
17	नागालैंड	4239	933	0	14	0	17
18	ओडिशा	396102	76319	340498	450707	255958	409459
19	पंजाब	10000	2462	4000	1303	0	12794
20	राजस्थान	250258	107878	223629	337558	213204	335883
21	सिक्किम	1079	753	0	563	0	863
22	तमिलनाडु	176338	144892	130214	170265	21000	122836
23	त्रिपुरा	23730	7080	1259	4994	0	22752
24	उत्तर प्रदेश	572627	478227	395137	818620	310053	429838
25	उत्तराखंड	8578	8711	4088	7665	0	5970
26	पश्चिम बंगाल	436512	421046	374629	642780	586333	742391
27	अंडमान और निकोबार	193	0	182	0	307	0
28	दादरा और नगर हवेली	297	0	752	1	4585	196

29	दमन और दीव	0	0	15	6	0	7
30	लक्षद्वीप	53	0	0	0	0	0
31	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	63837	30680	13373	27355	0	18677
33	कर्नाटक	80272	77227	43816	58677	0	43760
34	तेलंगाना	0	2759	0	0	0	0
35	लद्दाख	643	0	635	0	0	0
	कुल	4233011	3214495	3154507	4454509	2513662	4733370

दिनांक 26.04.2022 की स्थित के अनुसार आवाससॉफ्ट ए1 और ए2 रिपोर्ट की सूचना के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	चरण-II					
		2019-20		2020-21		2021-22	
		ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य	पूर्ण किए गए कार्य	ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य	पूर्ण किए गए कार्य	ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य	पूर्ण किए गए कार्य
1	अरुणाचल प्रदेश	7500	747	13279	2417	9596	986
2	असम	256043	84403	365976	131282	1031193	103656
3	बिहार	1302259	415056	254788	1048591	1149947	592587
4	छत्तीसगढ़	151100	34588	157815	59685	0	23251
5	गोवा	0	187	1280	87	0	19
6	गुजरात	107100	35591	111775	54890	25589	71665
7	हरियाणा	0	6691	1249	1232	8038	235

8	हिमाचल प्रदेश	871	447	3903	605	3514	1763
9	जम्मू और कश्मीर	54991	5610	49647	21746	63426	42182
10	झारखंड	322000	166685	349105	243990	403504	309419
11	केरल	0	843	0	880	13307	2460
12	मध्य प्रदेश	600000	275342	625000	262067	1160807	586749
13	महाराष्ट्र	354501	95121	309741	183719	391921	175533
14	मणिपुर	8900	1151	15842	2779	11684	3841
15	मेघालय	17200	5357	25732	5642	18000	7081
16	मिजोरम	1500	997	5438	1128	6980	1158
17	नागालैंड	5900	3687	10002	535	4933	0
18	ओडिशा	684433	361463	201333	395357	817513	95906
19	पंजाब	10000	410	0	3908	17117	5460
20	राजस्थान	450816	169240	197146	318264	397006	137124
21	सिक्किम	0	43	260	15	70	5
22	तमिलनाडु	200000	52760	0	52184	289887	55167
23	त्रिपुरा	28838	7055	0	15873	204834	1619
24	उत्तर प्रदेश	172007	174190	732591	37711	433536	1088866
25	उत्तराखंड	0	192	13399	93	3073	3273
26	पश्चिम बंगाल	1083488	286347	923505	678587	395038	945026
27	अंडमान और निकोबार	249	286	406	483	0	325
28	दादरा और नगर हवेली	0	221	0	972	1129	621

29	दमन और दीव	0	0	0	0	53	0
30	लक्षद्वीप	0	9	0	28	0	7
31	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	0	5	0	0	179060	0
33	कर्नाटक	42267	7085	0	2405	141391	13292
34	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
35	लद्दाख	236	0	478	0	0	0
	कुल	**5862199**	**2191809**	**4369690**	**3527155**	**7182146**	**4269276**

दिनांक 26.04.2022 की स्थित के अनुसार आवाससॉफ्ट ए1 और ए2 रिपोर्ट की सूचना के अनुसार

8. तत्पश्चात समिति ने पीएमएवाई-जी के तहत किए गए आवंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, कार्यक्रम के प्रारंभ से प्रत्येक वर्ष/चरण के दौरान उपयोग की गई राशि सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किए गए/वहन किया जा रहे अंश का प्रस्तुत करने को कहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उपयोग की गई निधियों के आवंटन, निधियों को जारी करने और निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2016-17

(रु.लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17

		केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	केंद्रीय द्वारा जारी राशि	राज्य द्वारा जारी राशि	कुल	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	10993.12	1221.46	12214.57	5412.30	0.00	5412.30	0.00
2	असम	267324.75	29702.75	297027.50	132197.90	22205.90	154403.80	11382.22
3	बिहार	477477.97	318318.66	795796.63	211427.06	118987.95	330415.02	291.25
4	छत्तीसगढ़	181109.27	120739.51	301848.77	83815.91	114000.82	197816.73	68223.40
5	गोवा	500.57	333.72	834.29	284.79	0.00	284.79	0.00
6	गुजरात	85059.62	56706.41	141766.03	36527.41	21196.93	57724.33	230.00
7	हरियाणा	8813.72	5875.81	14689.53	7414.46	4768.95	12183.41	1678.05
8	हिमाचल प्रदेश	5931.19	659.02	6590.21	3253.82	0.00	3253.82	1405.30
9	जम्मू और कश्मीर	20709.69	2301.08	23010.77	8033.01	2451.17	10484.18	0.00
10	झारखंड	182584.20	121722.80	304307.01	79630.14	42400.52	122030.66	27414.58
11	केरल	24380.43	16253.62	40634.05	10049.44	32259.08	42308.52	4927.44
12	मध्य प्रदेश	342581.69	228387.78	570969.47	170114.87	99185.50	269300.37	135952.50
13	महाराष्ट्र	174074.41	116049.61	290124.02	73566.02	107328.44	180894.46	35625.80
14	मणिपुर	11851.13	1316.79	13167.92	5767.41	0.00	5767.41	0.00
15	मेघालय	20722.04	2302.45	23024.49	8078.23	860.68	8938.91	0.00
16	मिजोरम	5847.66	649.74	6497.40	2482.99	324.87	2807.86	0.00

17	नागालैंड	10319.53	1146.61	11466.15	4676.22	0.00	4676.22	0.00
18	ओडिशा	311871.53	207914.34	519785.88	149452.93	133810.44	283263.37	47759.90
19	पंजाब	7488.00	4992.00	12480.00	7559.10	0.00	7559.10	0.00
20	राजस्थान	187393.36	124928.90	312322.26	87153.10	10000.00	97153.10	34586.70
21	सिक्किम	1262.43	140.27	1402.70	1190.61	0.00	1190.61	0.00
22	तमिलनाडु	132041.91	88027.94	220069.84	69059.77	32905.02	101964.79	2.08
23	त्रिपुरा	28875.11	3208.35	32083.45	13455.46	1199.32	14654.77	586.85
24	उत्तर प्रदेश	432890.69	288593.81	721484.50	223980.45	146949.78	370930.23	9493.36
25	उत्तराखंड	10036.26	1115.14	11151.40	7484.09	548.93	8033.02	2593.20
26	पश्चिम बंगाल	331772.00	221181.33	552953.33	139363.74	0.00	139363.74	82492.62
27	अंडमान और निकोबार	250.80	0.00	250.80	196.37	0.00	196.37	0.00
28	दादरा और नगर हवेली	356.40	0.00	356.40	282.83	0.00	282.83	0.00
29	दमन और दीव	67.35	0.00	67.35	49.88	0.00	49.88	0.00
30	लक्षद्वीप	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	47481.78	31654.52	79136.30	21712.79	14475.20	36187.99	0.00
33	कर्नाटक	69686.76	46457.84	116144.60	27864.00	23628.07	51492.07	804.18
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	14263.34	9508.89	23772.23	0.00

	कुल	3391826.29	2041902.26	5433728.55	1605800.40	938996.46	2544796.86	465449.43

वित्तीय वर्ष 2017-18

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18						
		केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	केंद्रीय द्वारा जारी राशि	राज्य द्वारा जारी राशि	कुल	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	2661.14	295.68	2956.82	1210.97	0.00	1210.97	0.00
2	असम	48816.80	5424.09	54240.89	166961.67	3748.41	170710.08	145845.18
3	बिहार	403572.50	269048.34	672620.84	60257.06	40171.37	100428.43	324304.05
4	छतीसगढ़	158566.70	105711.13	264277.84	262507.14	111684.84	374191.98	415646.02
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	68221.67	45481.11	113702.79	53264.22	49396.66	102660.88	120470.20
7	हरियाणा	7186.98	4791.32	11978.30	2153.84	3092.75	5246.59	14874.27
8	हिमाचल प्रदेश	3055.38	339.49	3394.87	5087.88	163.47	5251.35	3887.13
9	जम्मू और कश्मीर	26467.83	2940.87	29408.70	4982.11	1325.27	6307.38	9567.50
10	झारखंड	124547.28	83031.52	207578.80	162629.86	95829.43	258459.28	308892.39
11	केरल	7392.15	4928.10	12320.26	2140.78	0.00	2140.78	10269.36
12	मध्य प्रदेश	296389.41	197592.94	493982.34	487626.83	410818.92	898445.75	787530.40
13	महाराष्ट्र	113019.38	75346.25	188365.63	110207.77	100098.66	210306.43	197015.40
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	5855.30	0.00	5855.30	6591.28

15	मेघालय	4520.41	502.27	5022.68	4273.76	511.76	4785.53	10245.30
16	मिजोरम	2182.94	242.55	2425.49	644.25	0.00	644.25	2325.96
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	832.99	573.31	1406.30	16.90
18	ओडिशा	269164.03	179442.69	448606.72	312405.90	216077.42	528483.32	581031.55
19	पंजाब	2995.20	1996.80	4992.00	1602.06	0.00	1602.06	3066.36
20	राजस्थान	167453.39	111635.59	279088.98	189566.23	180746.70	370312.93	418053.06
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	926.10
22	तमिलनाडु	97504.24	65002.83	162507.07	84848.58	11108.95	95957.53	93907.83
23	त्रिपुरा	1531.95	170.22	1702.17	18316.45	2008.98	20325.43	23083.34
24	उत्तर प्रदेश	298544.56	199029.70	497574.27	494806.43	321266.82	816073.26	1024089.80
25	उत्तराखंड	4782.96	531.44	5314.40	1381.40	325.33	1706.73	7050.50
26	पश्चिम बंगाल	280522.19	187014.80	467536.98	455666.02	315232.73	770898.75	786788.04
27	अंडमान और निकोबार	248.40	0.00	248.40	33.07	0.00	33.07	0.00
28	दादरा और नगर हवेली	907.20	0.00	907.20	330.88	200.00	530.88	55.20
29	दमन और दीव	33.70	0.00	33.70	8.74	0.00	8.74	10.40
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	70.92	0.00	70.92	0.00
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	10766.88	7177.92	17944.80	35192.89	23461.59	58654.48	26446.59
33	कर्नाटक	39150.26	26100.17	65250.43	59304.63	28666.17	87970.80	53789.28
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	4815.53	0.00	4815.53	0.00
	कुल	2440206.00	1573778.00	4013983.00	2988986.00	1916560.00	4905546.00	5375779.00

वित्तीय वर्ष 2018-19

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19						
		केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	केंद्रीय द्वारा जारी राशि	राज्य द्वारा जारी राशि	कुल	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	असम	0.00	0.00	0.00	24408.40	0.00	24408.40	114967.19
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	444931.91	290914.15	735846.05	560295.55
4	छत्तीसगढ़	268865.94	179243.95	448109.89	263695.44	144885.53	408580.97	387827.89
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80
6	गुजरात	0.00	0.00	0.00	68219.86	28473.49	96693.35	82679.20
7	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	2839.56	5170.09	8009.65	4467.84
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1468.94	995.24	2464.18	3472.69
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	22683.11	827.05	23510.16	18613.80
10	झारखंड	108754.52	72503.02	181257.54	173352.48	133091.12	306443.60	274937.95
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4250.88
12	मध्य प्रदेश	432294.91	288196.59	720491.50	425042.66	175955.44	600998.10	729731.50

13	महाराष्ट्र	51954.74	34636.49	86591.23	113552.93	84605.19	198158.11	195607.75
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	429.98	600.00	1029.98	4996.76
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	12621.23	1402.36	14023.58	10659.61
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	2923.83	0.00	2923.83	761.93
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3902.60
18	ओडिशा	202335.06	134890.05	337225.11	329032.43	154536.62	483569.04	457735.05
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	3300.00	12857.34
20	राजस्थान	159647.16	106431.44	266078.59	234013.32	104839.92	338853.24	315904.92
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.30
22	तमिलनाडु	15724.80	10483.20	26208.00	50279.81	76518.38	126798.19	135368.17
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	765.98	85.11	851.09	8255.72
24	उत्तर प्रदेश	233592.97	155728.64	389321.61	277585.81	177024.78	454610.59	477328.05
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	9598.30	1066.47	10664.77	6026.50
26	पश्चिम बंगाल	444181.56	296121.03	740302.59	437284.79	284731.68	722016.47	775922.91
27	अंडमान और निकोबार	416.40	0.00	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00
28	दादरा और नगर हवेली	5598.00	0.00	5598.00	946.97	0.00	946.97	906.40

29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	18605.43	12403.62	31009.05	26455.20
33	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	18822.48	12548.16	31370.64	59746.93
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1923366.00	1278234.00	3201600.00	2933106.00	1693974.00	4627080.00	4674191.00

वित्तीय वर्ष 2019-20

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20						
		केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	केंद्रीय द्वारा जारी राशि	राज्य द्वारा जारी राशि	कुल	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	8775.00	975.00	9750.00	0.00	0.00	0.00	39.75
2	असम	299570.31	33285.59	332855.90	143397.40	14642.16	158039.56	204674.93
3	बिहार	951821.38	634547.63	1586369.00	490296.78	332566.11	822862.89	826594.48
4	छत्तीसगढ़	181265.30	120843.53	302108.83	56254.50	10378.00	66632.50	98981.78
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30

6	गुजरात	77112.00	51408.00	128520.00	38556.00	11619.22	50175.22	79810.22
7	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	3455.28	0.00	3455.28	6335.37
8	हिमाचल प्रदेश	1053.00	117.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	1110.33
9	जम्मू और कश्मीर	73589.49	8176.61	81766.10	6768.91	1411.11	8180.02	22142.30
10	झारखंड	245238.91	163492.59	408731.50	244276.06	148808.10	393084.16	339656.28
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.08
12	मध्य प्रदेश	441662.09	294441.41	736103.50	229197.58	259248.38	488445.96	417603.24
13	महाराष्ट्र	261766.31	174510.88	436277.19	181532.69	31531.89	213064.58	192476.50
14	मणिपुर	10413.00	1157.00	11570.00	1030.27	643.64	1673.91	1282.90
15	मेघालय	20124.00	2236.00	22360.00	2260.21	251.13	2511.34	5796.89
16	मिजोरम	1755.00	195.00	1950.00	0.00	324.87	324.87	3180.42
17	नागालैंड	6903.00	767.00	7670.00	0.00	0.00	0.00	1524.90
18	ओडिशा	520136.00	346757.34	866893.34	219733.14	149627.36	369360.50	546006.20
19	पंजाब	7200.00	4800.00	12000.00	0.00	3471.04	3471.04	3601.35
20	राजस्थान	324587.50	216391.67	540979.17	293333.75	96883.72	390217.47	292327.10
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	65.03	70.61	135.64	37.35
22	तमिलनाडु	144000.00	96000.00	240000.00	48752.12	32501.41	81253.53	99692.64
23	त्रिपुरा	33740.46	3748.94	37489.40	22952.36	1906.26	24858.63	21050.44
24	उत्तर प्रदेश	129849.78	86566.52	216416.30	114564.41	84078.44	198642.85	220735.28

25	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.44
26	पश्चिम बंगाल	790864.50	527243.00	1318107.50	597600.00	249200.00	846800.00	885441.06
27	अंडमान और निकोबार	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00	112.00
28	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	5598.00	0.00	5598.00	2332.80
29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	कर्नाटक	61920.00	41280.00	103200.00	30960.00	0.00	30960.00	0.00
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4593700.00	2808941.00	7402641.00	2730584.00	1429164.00	4159748.00	4274414.00

वित्तीय वर्ष 2020-21

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21						
		केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	केंद्रीय द्वारा जारी राशि	राज्य द्वारा जारी राशि	कुल	उपयोग
1	अरुणाचल	17925.57	1991.73	19917.30	0.00	0.00	0.00	597.24

	प्रदेश							
2	असम	428191.91	47576.88	475768.79	150342.50	16704.73	167047.23	126943.87
3	बिहार	580822.56	387215.03	968037.59	668393.29	284314.30	952707.59	1000438.00
4	छत्तीसगढ़	113626.80	75751.20	189378.00	30712.50	77433.50	108146.00	98381.97
5	गोवा	921.60	614.40	1536.00	0.00	0.00	0.00	52.70
6	गुजरात	80478.00	53652.00	134130.00	19278.00	31056.00	50334.00	49563.62
7	हरियाणा	899.00	599.33	1498.33	0.00	2303.52	2303.52	1327.32
8	हिमाचल प्रदेश	4789.98	532.22	5322.20	1061.95	0.00	1061.95	2339.94
9	जम्मू और कश्मीर	74993.49	8332.61	83326.10	79586.44	4042.64	83629.08	59934.60
10	झारखंड	265042.62	176695.10	441737.72	334851.43	189899.52	524750.95	375021.61
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2504.54
12	मध्य प्रदेश	463010.94	308673.97	771684.91	456579.57	132245.11	588824.68	406896.08
13	महाराष्ट्र	291655.44	194436.95	486092.39	131010.14	131328.52	262338.66	243350.42
14	मणिपुर	18535.14	2059.46	20594.60	8489.03	1044.75	9533.78	9349.37
15	मेघालय	30106.44	3345.16	33451.60	19108.14	1920.10	21028.24	18554.09
16	मिजोरम	13549.77	1505.53	15055.30	1616.21	121.27	1737.49	1382.24
17	नागालैंड	11702.34	1300.26	13002.60	1739.92	0.00	1739.92	212.13
18	ओडिशा	151701.91	101134.60	252836.51	282187.37	188124.91	470312.28	455646.08
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	4922.04	3264.41	8186.45	5910.09
20	राजस्थान	311980.31	207986.88	519967.19	110858.96	222673.62	333532.58	367944.70

21	सिक्किम	304.20	33.80	338.00	0.00	0.00	0.00	27.65
22	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	7862.40	9741.60	17604.00	67261.13
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	11361.69	1906.34	13268.02	9830.36
24	उत्तर प्रदेश	527465.50	351643.69	879109.19	483089.66	255692.80	738782.47	599028.83
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
26	पश्चिम बंगाल	674328.63	449552.41	1123881.00	881054.09	507314.72	1388368.80	1003759.60
27	अंडमान और निकोबार	679.20	0.00	679.20	1687.95	0.00	1687.95	853.02
28	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.40
29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4062711.00	2374633.00	6437345.00	3685793.00	2061132.00	5746926.00	4910590.00

वित्तीय वर्ष 2021-22

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22						
		केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	केंद्रीय द्वारा जारी राशि	राज्य द्वारा जारी राशि	कुल	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	6909.12	767.68	7676.80	10485.35	0.00	10485.35	1669.67
2	असम	819000.00	91000.00	910000.00	577110.76	24292.88	601403.64	219163.30
3	बिहार	827961.81	551974.56	1379936.40	308222.17	366035.90	674258.07	577455.07
4	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3044.47
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80
6	गुजरात	18424.08	12282.72	30706.80	68729.04	34857.52	103586.56	89183.99
7	हरियाणा	5787.36	3858.24	9645.60	0.00	0.00	0.00	1724.99
8	हिमाचल प्रदेश	2530.08	281.12	2811.20	3296.77	26.00	3322.77	4392.48
9	जम्मू और कश्मीर	45666.72	5074.08	50740.80	12342.60	3455.21	15797.81	41936.90
10	झारखंड	290522.88	193681.92	484204.80	120790.68	97137.39	217928.08	423246.51
11	केरल	9581.04	6387.36	15968.40	0.00	0.00	0.00	6628.51
12	मध्य प्रदेश	430947.38	287298.25	718245.63	450957.83	231490.45	682448.28	804225.17
13	महाराष्ट्र	282183.13	188122.08	470305.20	124979.82	74104.82	199084.64	193253.30
14	मणिपुर	13670.28	1518.92	15189.20	2100.99	294.17	2395.15	2629.59
15	मेघालय	12960.00	1440.00	14400.00	9012.52	1455.55	10468.07	7211.21

16	मिजोरम	5025.60	558.40	5584.00	4191.70	58.31	4250.01	583.31
17	नागालैंड	5771.61	641.29	6412.90	1740.67	193.32	1933.99	2044.00
18	ओडिशा	588609.38	392406.25	981015.63	101187.15	67458.10	168645.25	112201.25
19	पंजाब	12324.24	8216.16	20540.40	1830.60	1237.35	3067.95	6070.75
20	राजस्थान	285844.31	190562.88	476407.19	140546.32	42633.36	183179.68	232634.23
21	सिक्किम	81.90	9.10	91.00	57.29	0.00	57.29	5.80
22	तमिलनाडु	208718.64	139145.77	347864.41	92892.61	80206.65	173099.26	66000.92
23	त्रिपुरा	187098.20	20788.69	207886.89	136847.66	13607.14	150454.80	111089.77
24	उत्तर प्रदेश	312145.91	208097.28	520243.19	372700.20	284909.50	657609.70	786695.31
25	उत्तराखंड	2396.94	266.33	2663.27	14917.74	1657.53	16575.27	13817.88
26	पश्चिम बंगाल	284427.38	189618.23	474045.61	68783.99	229254.67	298038.66	540869.67
27	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.22
28	दादरा और नगर हवेली	1354.80	0.00	1354.80	0.00	0.00	0.00	2148.00
29	दमन और दीव	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	128923.2	85948.80	214872.0	0.00	0.00	0.00	0.00

		0		0				
33	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4788930.00	2579946.00	7368876.00	2623724.00	1554366.00	4178090.00	4250148.50

स्रोत: केन्द्रीय आबंटन, राज्य आबंटन, आवास योजना के अनुसार उपयोग की गई निधियां। कुल उपलब्ध निधियों के विरूद्ध निधियों के उपयोग की सूचना दी जाती है जिसमें केन्द्रीय शेयर, राज्य शेयर, विविध प्राप्तियां और अर्जित ब्याज शामिल हैं।

केंद्र द्वारा जारी राशि: व्यय नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार

8. समिति द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों और अन्य एजेंसियों जैसे बैंकिंग, वित्त, पीएसयू, नाबार्ड, आवास विकास बोर्डों, निजी बिल्डरों, एमएसएमई आदि के सहयोग से पीएमएवाई-जी के तहत बुनियादी ढांचे/परिसंपत्ति के निर्माण के लिए संसाधनों के विवरण और इस तरह के आवंटन को चैनलाइज करने के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: –

> *"पीएमएवाई-जी के तहत मकान का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा या अपनी निगरानी में बनवाया जाएगा। मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।*

पीएमएवाई-जी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय जरूरत की आंशिक पूर्ति बजटीय स्रोतों से तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों (ईबीआर) के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण के जरिए की जाएगी। नाबार्ड से लिए गए ऋण को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास प्राधिकरण

(एनआरआईडीए) के जरिए दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8 दिसम्बर, 2021 को हुई बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार वित्त मंत्रालय के समन्वय से ईबीआर तंत्र को चरणबद्ध रूप से हटाया जा रहा है और सकल बजट सहयोग के माध्यम से योजना की लागत पूरी की जा रही है."

9. तत्पश्चात समिति ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में पाई गई किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से प्रभावी निगरानी के लिए प्रचलित निगरानी तंत्र के विवरण के बारे में पूछा। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> *"योजना के लिए निगरानी तंत्र: प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की सभी स्तरों पर बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। गुवत्तापूर्ण और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अपनाए गए निगरानी तंत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:-*

(क) राज्य और जिला स्तर पर समितियां - पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निदेश देने और निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य और जिला दोनों स्तरों पर समितियों का गठन करना है। इन समितियों में वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाना है। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव और जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। राज्य और जिला स्तर पर समिति की संरचना राज्य सरकार द्वारा तय की जा सकती है। राज्य स्तरीय समिति की बैठक सामान्यत: वर्ष में कम से कम दो बार होगी है जबकि जिला स्तरीय समिति की बैठक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में होगी।

(ख) फोटोग्राफ और निरीक्षण रिपोर्ट सहित लाभार्थियों, निर्माण की प्रगति और निधि की रिलीज से संबंधित सभी आंकड़े आवाससॉफ्ट पर प्रविष्ट किए जाते हैं और ये योजना की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति दोनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का आधार बनते हैं।

(ग) किसी पीएमएवाई-जी मकान के निर्माण की वास्तविक प्रगति की निगरानी निर्माण के प्रत्येक चरण और निर्माण कार्य के पूरा होने पर अपलोड किए जाने वाले मकान के जियोटैग किए गए, समय और तारीख की मुहर वाले फोटोग्राफों के माध्यम से की जाती है।

(घ) मकान निर्माण की प्रगति और लाभार्थियों के चयन में अपनाई गई प्रक्रिया इत्यादि की जांच करने के लिए मंत्रालय के राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता और क्षेत्र अधिकारी क्षेत्र के दौरे के समय एमएवाई-जी मकानों का भी दौरा करते हैं।

(ड़) अनियमितता की गंभीर शिकायतों की जांच मंत्रालय के पैनल में शामिल स्वतंत्र राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के माध्यम से की जाती है।

(च) राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) कार्यान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता निरीक्षण का काम करती है। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को जहां तक संभव हो निर्माण के प्रत्येक चरण में 10% मकानों का निरीक्षण करना होता है; जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में 2% मकानों का निरीक्षण करना होता है। पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत प्रत्येक मकान को ग्राम स्तरीय कर्मी को टैग किया जाना होता है जिसका कार्य लाभार्थी के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाना और निर्माण में सहयोग करना है।

(छ) एनआरएलएम के तहत एसएचजी नेटवर्क का उपयोग करके समुदाय आधारित भागीदारीपूर्ण निगरानी प्रणाली भी बनाई जानी होती है। कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने और मकान के निर्माण की प्रगति तथा गुणवत्ता की निगरानी के लिए एनजीओ तथा नागरिक सेवा संगठनों (सीएसओ) का भी उपयोग किया जा सकता है।

(ज) सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा को शामिल करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम-से-कम एक बार समाजिक लेखापरीक्षा की जानी होती है।

(झ) जिन लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए गए हैं उन्हें सहायता का भुगतान आवास-सॉफ्ट-पीएफएमएस प्लेटफार्म के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में किया जाना होता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और लाभार्थियों को वितरित की गई निधि की उसी समय निगरानी करने में मदद मिलती है।

(ञ) योजना के कार्यान्वयन के अलग-अलग मानदंडों की प्रगति की निगरानी कार्यनिष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के जरिए की जाती है जो अपेक्षित क्षेत्रों में उचित पहल करने की योजना बनाने में मदद करता है।.

10. पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों जो ग्राम सभा और अपीलीय प्रक्रिया द्वारा सत्यापन के अधीन है पर आधारित है। इस पृष्ठभूमि में समिति द्वारा एसईसीसी 2011 के अंतर्गत निर्धारित आवास वंचन पैरामीटरों और बहिष्करण मानदंडों के ब्यौरे के साथ-साथ अब तक पहचाने गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, महिलाओं, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित लाभार्थियों तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान अभिनिर्धारित पूर्वोत्तर राज्यों सहित पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के श्रेणीवार ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में सारणीबद्ध निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:-

एसईसीसी पीडब्ल्यू	**लाभार्थियों की कुल संख्या**	**ग्राम सभा द्वारा रिमांड के बाद अंतिम पीडब्ल्यूएल**

क्र.सं.	राज्य का नाम	अल्पसंख्यक	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अल्पसंख्यक	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	4518	3832	0	34995	43345	562	1001	0	29195	30758
2	असम	927067	596541	158965	236901	1919474	822218	480616	123661	200678	1627173
3	बिहार	979928	4087865	1379702	120944	6568439	459337	1976326	246620	35889	2718172
4	छत्तीसगढ़	8771	1103699	397747	1004813	2515030	5760	823993	290069	756887	1876709
5	गोवा	388	1662	96	447	2593	284	828	47	398	1557
6	गुजरात	25707	568866	57532	454199	1106304	5964	155349	13394	147515	322222
7	हरियाणा	23137	65669	65968	150	154924	4746	7357	10034	43	22180
8	हिमाचल प्रदेश	1597	14597	9314	5060	30568	904	5264	4023	1778	11969
9	जम्मू और कश्मीर	2489	146178	31411	77271	257349	1165	74055	17303	46755	139278
10	झारखंड	212070	758618	302009	655631	1928328	141709	470660	186326	400658	1199353
11	केरल	29268	82004	44325	13150	168747	6107	9765	6170	1434	23476
12	मध्य प्रदेश	70911	2206177	800509	1663616	4741213	38736	1346811	484949	1186509	3057005
13	महाराष्ट्र	60424	912517	264204	601943	1839088	38160	564022	133834	330921	1066937
14	मणिपुर	3682	9633	973	24882	39170	3543	8708	899	21545	34695
15	मेघालय	4666	347	662	77613	83288	3915	281	393	58129	62718
16	मिजोरम	516	5	166	25912	26599	62	1	9	13466	13538

17	नागालैंड	190	3541	8	30442	34181	88	209	0	18133	18430
18	ओडिशा	48425	2022678	852685	1248932	4172720	17687	873796	337009	641226	1869718
19	पंजाब	2705	35607	86187	8	124507	446	6904	25310	2	32662
20	राजस्थान	123860	1059292	585681	953084	2721917	73202	493280	267307	505586	1339375
21	सिक्किम	327	2344	407	2102	5180	62	465	79	473	1079
22	तमिलनाडु	40122	957631	533081	53971	1584805	12492	308030	231918	20738	573178
23	त्रिपुरा	21878	85807	49377	147414	304476	15783	69397	40761	98100	224041
24	उत्तर प्रदेश	481157	2625584	1657496	46091	4810328	163074	765155	507102	13354	1448685
25	उत्तराखंड	10327	31235	16592	4473	62627	2960	4882	3522	1204	12568
26	पश्चिम बंगाल	1504718	1340512	1479445	454597	4779272	1202235	891959	1064568	321782	3480544
27	अंडमान और निकोबार	699	2402	0	54	3155	429	1140	0	12	1581
28	दादरा और नगर हवेली	25	189	63	9500	9777	10	1	4	5596	5611
29	दमन और दीव	0	296	8	29	333	0	9	0	6	15
30	लक्षद्वीप	1	8	0	156	165	1	0	0	114	115
31	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	15139	339051	140427	90003	584620	1806	34665	21630	10835	68936
33	कर्नाटक	25179	401417	125911	75729	628236	20025	174115	55309	37420	286869
34	तेलंगाना	0	128500	45696	34374	208570	0	0	0	0	0

35	लद्दाख	52	143	3	4295	4493	7	0	0	1421	1428
	कुल	4629943	19594447	9086650	8152781	41463821	3043479	9549044	4072250	4907802	21572575

<u>* दिनांक 21.04.2022 की स्थिति के अनुसार आवाससॉफ्ट ई4 रिपोर्ट की सूचना के अनुसार</u>

आवास+ डेटाबेस		आवास+ डेटाबेस में पात्र शेष लाभार्थियों की कुल संख्या					ग्राम सभा द्वारा रिमांड के बाद अंतिम पीडब्ल्यूएल				
क्र.सं.	राज्य का नाम	अल्पसंख्यक	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अल्पसंख्यक	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	1	27	0	6356	6384	0	27	0	6150	6177
2	असम	0	1505316	179366	387476	2072158	0	0	0	0	0
3	बिहार	406802	1500561	556143	72913	2536419	394209	1449267	527802	69140	2440418
4	छत्तीसगढ़	0	402292	135246	282575	820113	0	0	0	0	0
5	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गुजरात	19058	292549	34947	291543	638097	18462	278719	32157	288462	617800
7	हरियाणा	8549	39790	48437	1046	97822	5520	21978	28333	498	56329
8	हिमाचल प्रदेश	1641	57419	37344	8801	105205	1502	44344	28548	7376	81770
9	जम्मू और कश्मीर	5157	154060	25722	78125	263064	3628	146273	23864	75013	248778
10	झारखंड	143951	440062	177788	291628	1053429	141728	431142	174688	288371	1035929
11	केरल	64321	107875	39009	10074	221279	63400	106111	36821	9256	215588
12	मध्य प्रदेश	46459	1478370	562556	959580	3046965	21917	511660	194623	289491	1017691

13	महाराष्ट्र	171069	2938653	490752	820533	4421007	137552	1904317	278818	522745	2843432
14	मणिपुर	4776	40426	3568	22476	71246	4679	11891	447	10264	27281
15	मेघालय	5	8566	733	129634	138938	0	0	0	67	67
16	मिजोरम	6	2	126	19443	19577	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	14	24	17	34770	34825	14	0	8	32355	32377
18	ओडिशा	4345	419661	158158	164258	746422	0	0	0	0	0
19	पंजाब	5213	14663	66719	913	87508	4554	13415	60057	654	78680
20	राजस्थान	66446	582417	281857	354579	1285299	65886	571838	277254	351722	1266700
21	सिक्किम	4	4052	609	3095	7760	3	3709	544	2747	7003
22	तमिलनाडु	22223	430965	245806	16313	715307	22135	429647	244934	16134	712850
23	त्रिपुरा	785	71011	35821	78160	185777	106	1247	389	1893	3635
24	उत्तराखंड	7802	35494	21216	3262	67774	6967	33580	20095	2972	63614
25	पश्चिम बंगाल	8585	3005369	1627918	407189	5049061	0	0	0	0	0
26	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	दादरा और नगर हवेली	0	16	79	6486	6581	0	1	39	267	307
28	दमन और दीव	0	58	9	145	212	0	40	6	145	191
29	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	15020	253559	119661	47215	435455	11836	175865	88129	42504	318334
32	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	तेलंगाना	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	1	0	0	999	1000	1	0	0	999	1000
	कुल	1002233	13783257	4849612	4499587	24134689	904099	6135071	2017556	2019225	11075951

* दिनांक 21.04.2022 की स्थिति के अनुसार आवाससॉफ्ट पर दी गई सूचना के अनुसार

11. तत्पश्चात समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आवंटन को 2022 तक लगभग 3 करोड़ मकानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। इस संबंध में समिति ने इस तरह के आवंटन की तर्कसंगतता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग के बारे में भी जानने की इच्छा व्यक्त की। प्रत्युत्तर में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पीएमएवाई-जी के तहत पक्का मकानों के निर्माण के लिए निधियों का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी खास वित्त वर्ष के लिए दिए गए लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। संशोधित प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विगत वर्ष के निष्पादनों, निर्माण के लिए लंबित मकानों और उपलब्ध निधियों के उपयोग के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वार्षिक वित्तीय आबंटन (2 प्रतिशत प्रशासनिक निधि सहित) का निर्धारण किया जाता है। इस वार्षिक कार्ययोजना को सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस तरह, वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने हेतु निधियों की कोई कमी नहीं है। वित्तीय जरूरतों की पूर्ति आंशिक रूप से बजटीय आबंटन और शेष की नाबार्ड से ऋण लेकर की जाती है। चूंकि निधियों का आबंटन प्राथमिक रूप से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिए गए लक्ष्यों और निर्माण के लिए लंबित मकानों पर निर्भर करता है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त निधियों की कोई

मांग नहीं की गई है। तथापि, राज्यों से अपेक्षित है कि वे वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों के लिए 40% और पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों (जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सहित) के लिए 10% के अपने संबंधित राज्य अंश का योगदान करें।"

12. समिति ने पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों को प्रदान की जा रही 'प्रति यूनिट सहायता' की मौजूदा सीमा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। इस संदर्भ में समिति ने यह भी जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या धनराशि की अपर्याप्तता की समस्या को दूर करने की दृष्टि से मौजूदा सीमा को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई मांग/अनुरोध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों तथा पर्वतीय राज्यों – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वात्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 1.30 लाख रुपए है।

पूर्ववर्ती आवास स्कीम को पुनर्गठित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगते समय यह प्रस्तावित था कि 600 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में शौचालय के साथ पक्के मकान के निर्माण की लागत 1.50 लाख रुपये होगी। 25 वर्ग मीटर का मकान बनाने के लिए मनरेगा योजना (90/95 श्रमदिवस) और एसबीएम-जी (शौचालय के निर्माण हेतु 12,000 रु. की सहायता) से अकुशल श्रम की सहायता सहित पीएमवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता (1.20 लाख रुपये/1.30 लाख रुपये) पर्याप्त होगी। यह सहायता बुनियादी मकान बनाने के लिए होगी जिसे लाभार्थी और अधिक संसाधन उपलब्ध होने पर बढ़ा सकता है।

इस योजना को मार्च, 2024 तक जारी रखने के लिए अनुमोदन मांगते समय इकाई सहायता को यथावत रखा गया है।

मंत्रालय ने यूएनडीपी और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से देश के 18 राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए स्थानीय रूप से उपयुक्त किफायती प्रौद्योगिकियों और हाउसिंग टाइपोलॉजी का कैटलॉग तैयार करने का काम शुरू किया है। जलवायु एवं स्थलाकृति की स्थिति तथा पारंपरिक आवास निर्माण पद्धतियों और आपदाओं से खतरे के आधार पर संबंधित राज्यों में जोन बनाने का काम कर लिया गया है। अब तक इन सभी राज्यों में क्षेत्र अध्ययन किए जा चुके हैं। हितधारकों के साथ परामर्शी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और सभी राज्यों के लिए डिजाइन टाइपोलॉजी के कैटलॉग को अंतिम रूप दे दिया गया है। अनुशंसित डिजाइन टाइपोलॉजी के आधार पर मकानों/सामुदायिक भवनों के निर्माण के माध्यम से त्रिपुरा, सिक्किम और महाराष्ट्र में प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने का काम पूरा कर लिया गया है। 10 राज्यों के लिए विकसित की गई डिजाइन टाइपोलॉजियों को 'पहल' नामक संग्रह में संकलित किया गया है और इन टाइपोलॉजियों को लोकप्रिय बनाने और अपनाने के उद्देश्य से इस संकलन को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किया गया है। 15 राज्यों से संबंधित हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी को शामिल करने के लिए 'पहल 2' को अद्यतन किया गया है। आज तक 15 राज्यों में पहचानी गई 108 हाउस डिजाइन टाइपोलॉजियों के साथ 62 टाइपोलॉजी जोन को शामिल किया गया है। ये डिजाइन किफायती हैं, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं और पीएमवाई-जी के अंतर्गत दी जा रही सहायता से ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करते हैं। मंत्रालय ने मकान के निर्माण के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित राजमिस्त्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण राजमिस्त्री कार्यक्रम भी शुरू किया है। मंत्रालय ने लाभार्थियों को उनके मकानों के निर्माण हेतु प्रशिक्षित और प्रमाणित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता के अलावा उपलब्ध कराई गई टॉप-अप राशि के माध्यम से पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए लाभाथयों को सहायता भी प्रदान करते हैं।

कुल 2.30 करोड़ मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, 2.19 करोड़ मकानों को सहायता की पहली किस्त जारी की गई है और कुल मिलाकर 1.79 करोड़ मकानों को पहले ही पूरा कर लिया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत यूनिट सहायता में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

13. पीएमएवाई-जी के तहत, बुनियादी सुविधाओं वाला 'पक्का' मकान उस नागरिक को उपलब्ध कराया जाता है जिसके पास 'कच्चा' और जर्जर मकान है। भूमिहीन आबादी की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए समिति ने विशेष रूप से यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि पीएमएवाई-जी के तहत ऐसे भूमिहीन लोगों को पक्के मकानों की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पीएमएवाई-जी के तहत सभी ग्रामीण आवासहीनों (भूमिहीन सहित) और शून्य, एक या दो कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को एसईसीसी आंकड़ा के अनुसार बहिर्वेशन प्रक्रिया के अध्यधीन वितीय सहायता दी जाती है।

यदि लाभार्थी भूमिहीन हो तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सराकार जमीन से या सार्वजनिक भूमि (पंचायत की साझा जमीन, सामुदायिक जमीन या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की जमीन) सहित कोई अन्य जमीन उपलब्ध कराई जाए। भूमिहीन लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। भूमिहीन लाभार्थी को मकान के आबंटन में छोड़ा नहीं जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पीएमएवाई-जी के संपूर्ण पीडब्ल्यूएल में पहचाने गए कुल 4,38,579 भूमिहीन लाभाथयों में से अब तक केवल 2,19,691 (50.09%) को ही मकानों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है। आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति नीचे दी गई है-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीडब्ल्यूएल में भूमिहीन लाभार्थियों की सं.	जिन भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई उनकी सं.	भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें भूमि खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई	उन भूमिहीन लाभाथयों की संख्या जिन्हे भूमि खरीद के लिए भूमि/वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	652	652	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1888	1888	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	47490	16630	0	30860
5	बिहार	9693	585	958	8150
6	छत्तीसगढ	6207	6149	0	58
7	दादर और नागर हवेली	88	31	0	57
8	दमन और दीव	0	0	0	0
9	गोवा	66	0	0	66
10	गुजरात	7665	5549	0	2116
11	हरियाणा	9	0	0	9
12	हिमाचल प्रदेश	32	21	0	11
13	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
14	झारखंड	2927	1949	0	978
15	कर्नाटक	15436	11560	0	3876

16	केरल	7288	1299	129	5860
17	लद्दाख	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	37519	34481	0	3038
20	महाराष्ट्र	111838	55465	3044	53329
21	मणिपुर	0	0	0	0
22	मेघालय	914	629	0	285
23	मिजोरम	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0
25	ओडिशा	57932	22387	0	35545
26	पुदुचेरी	एनए	एनए	एनए	एनए
27	पंजाब	204	156	0	48
28	राजस्थान	55405	47215	0	8190
29	सिक्किम	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	57680	971	0	56709
31	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए
32	त्रिपुरा	155	30	2	123
33	उत्तर प्रदेश	1993	1993	0	0
34	उत्तराखंड	539	539	0	0
35	पश्चिम बंगाल	14959	9512	0	5447
	कुल (राष्ट्रीय)	438579	219691	4133	214755

पीएमएवाई-जी लाभार्थयों के बीच भूमिहीनता के मुद्दे की मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाती है।

14. समिति द्वारा विशेष रूप से यह पूछे जाने पर कि क्या पीएमएवाई-जी का लाभ उठाने के लिए श्री भवर सिंह के तात्कालिक प्रतिनिधित्व में उल्लिखित 22 परिवारों के नाम लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची में शामिल किए गए थे और पीएमएवाई-जी के तहत बुनियादी सुविधाओं वाले स्वयं के मकान इन सभी आवेदकों को कब तक मिल जाएंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थयों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 के अनुसार आवास और अन्य सामाजिक-आर्थिक वंचन मानदंडों पर आधारित है और आवास+ डाटाबेस को अंतिम रूप दिया गया है। तदनुसार, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, सभी पात्र ग्रामीण बेघर और शून्य, एक या दो कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को, एसईसीसी के अनुसार बहिष्करण प्रक्रिया के अध्यधीन और ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन के आधार पर और स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाने के अधीन आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।

श्री भवर सिंह की मौजूदा याचिका के संबंध में, यह कहा गया है कि चूंकि श्री भवर सिंह की याचिका में उल्लिखित गांव-घुड़ी, हथियाभीत और मोहनापुर के 54 (22+32) परिवारों का पूरा विवरण (अर्थात संबंधित ग्राम पंचायत नाम) प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए यह जांच नहीं की जा सकी है कि क्या वे पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। इसके अलावा, पत्र में उल्लिखित ब्लॉक/तहसील-चैल/नेवादा/मूरतगंज के लिए पीडब्ल्यूएल की इस सूची में चैलखास, घुरी, हथियाभीत और मोहनापुर नाम की कोई ग्राम पंचायत मौजूद नहीं है। इसलिए, केंद्रीय स्तर पर

पीडब्लूएल विवरण में उनकी उपलब्धता की जांच करना संभव नहीं है, जब तक कि ग्राम पंचायत की जानकारी प्रदान नहीं की जाती है।

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित कर रहा है, इसलिए पीएमएवाई-जी के तहत आवास के आवंटन के लिए अभ्यावेदन इस मंत्रालय के दिनांक 7 जनवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित किए गए थे ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके और इस मंत्रालय को सूचित करते हुए आवेदकों को सीधे जवाब दिया जा सके।

इस संबंध में, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया दिनांक 25 अप्रैल, 2022 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसमें राज्य ने इन 54 परिवारों की स्थिति निम्नानुसार प्रदान की है:

ब्लॉक	कुल आवेदक	पात्र		अपात्र
		मकान प्रदान किया गया	मकान अभी उपलब्ध कराया जाना है	
नेवादा	22	2	8	12
मूरतगंज	32	4	15	13
कुल	54	6	23	25

सभी के लिए आवास" प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करने का समग्र लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 और पात्र परिवारों की

पहचान करने के लिए किए गए नए सर्वेक्षण आवास+ से की जाती है बशर्ते कि वे ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया को पूरा कर सकें। एसईसीसी 2011 डाटाबेस के माध्यम से उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की संख्या वर्तमान में 215 करोड़ (लगभग) है। 80 लाख मकानों (2.95-2.15) के अंतर को पाटने के लिए, आवास + डेटा का उपयोग किया जा रहा है। आवास+ में वर्तमान में 2.7 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थी हैं जो एक मकान के लिए दावा कर रहे हैं और केवल 80 लाख मकानों (लगभग) को ही अंतर पाटने के लिए इस डेटाबेस से स्वीकृत किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, एनएसओ सर्वेक्षण के अनुसार पीडब्ल्यूएल में परिवारों की संख्या को दिए गए 50% वेटेज और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को 50% के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवास+ सूची से लक्ष्य आबंटित किया जाता है। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आबंटित किए जाने वाले लक्ष्यों की एक ऊपरी सीमा निर्धारित की जाती है जिसमें आवास+ सूची से देश भर में आबंटित किए जाने वाले 80 लाख मकानों की संचयी सीमा निर्धारित की जाती है, चाहे इस सर्वेक्षण के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंजीकृत परिवारों की संख्या कुछ भी हो। ग्राम पंचायतों को लक्ष्यों का आबंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, आवास+ से 28 पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 63.76 लाख आवासों का लक्ष्य पहले ही आबंटित किया जा चुका है, जिन्होंने अपने एसईसीसी आधारित पीडब्ल्यूएल को संतृप्त कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को आबंटित 11,66,127 मकान शामिल हैं जो आवास+ सूची से पूर्ण और अंतिम लक्ष्यों के रूप में है। उक्त आवास+ लक्ष्य में से, 27.04.2022 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य ने पहले ही लाभार्थियों को 11,59,527 आवासों की मंजूरी दे दी है और 11,08,480 मकानों का निर्माण कर लिया गया है।

15. तत्पश्चात समिति ने विशेष रूप से यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या यह सच है कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की पहचान/चयन के लिए ग्राम सभाओं में निहित शक्तियों से व्यक्तिपरक परिणामों/निष्कर्षों की संभावना हैं और ग्राम सभा के स्तर पर वास्तविक लाभार्थियों के चयन के लिए बायो-मीट्रिक पहचान सहित विशिष्ट मापदंडों पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है और मंत्रालय से उपर्युक्त मामले में अपने विचार देने के लिए कहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लाभार्थियों के समूह में एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार शून्य, एक या दो कमरे वाले कच्चे मकानों में रहने वाले सभी बेघर और परिवार शामिल हैं और बहिष्करण प्रक्रिया के अध्यधीन आवास + डेटाबेस को अंतिम रूप दिया गया है। ग्राम पंचायत-वार प्रणाली-जनित पात्र लाभार्थियों की सूचियों को सत्यापित करने के लिए ग्राम सभा को भेजा जाता है। ग्राम सभा के पास परिवार को पीडब्ल्यूएल में शामिल करने की कोई शक्ति नहीं है, तथापि, ग्राम सभा, तथ्यों के सत्यापन के आधार पर, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपात्र लाभार्थी को बाहर कर सकती है। गलत तरीके से बहिष्कृत परिवार अपीलीय समिति को अपना अभ्यावेदन भेज सकते हैं।"

16. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उन लाभार्थियों की कोई स्थायी प्रतीक्षा सूची है जिनका नाम एसईसीसी, 2011 के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें कार्यक्रम के लाभ नहीं दिए गए हैं, और छूट गए लाभार्थियों को इसमें शामिल करने के लिए भी बचे हुए लाभार्थी जिनके नाम बाद के चरण में जोड़े गए हैं या जो प्राप्त होने पर जोड़े जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 और आवास और अन्य सामाजिक-आर्थिक अभाव मापदंडों के अनुसार तथा अंतिम रूप से तैयार आवास+डाटाबेस पर आधारित है। तदनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी ग्रामीण बेघर और शून्य, एक या दो कमरे वाले मकानों में रहने वाले मकानों में, एसईसीसी के अनुसार अपवर्जन

प्रक्रिया के अधीन और ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापित और स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।

10.06.2020 की स्थिति के अनुसार, कुल 2.33 करोड़ परिवारों को पीएमएवाई-जी के तहत सहायता प्रदान करने के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया है और उन्हें स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। पीडब्ल्यूएल में शामिल इन सभी पात्र परिवारों को 2022 तक पीएमएवाई-जी के तहत पक्के आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 10.06.2020 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत कुल 1.51 करोड़ परिवारों को आवासों को मंज़ूरी दी गई है। शेष परिवारों को आवासों को मंज़ूरी दी जाएगी और 2021-22 तक घर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा में बचे हुए लाभार्थियों की पहचान का प्रावधान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस दिशा में एमआईएस-आवाससॉफ्ट में एक मोबाइल एप्लिकेशन और एक मॉड्यूल विकसित किया था ताकि ऐसे बचे हुए लाभार्थियों के विवरण को सूचीबद्ध किया जा सके। बचे हुए लाभार्थियों के विवरण को सूचीबद्ध करने की अंतिम तिथि 7 मार्च, 2019 थी, और चक्रवात और बाढ़ की प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित परिवारों / लाभार्थियों के विवरण को सूचीबद्ध करने के लिए तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया था। मोबाइल एप्लिकेशन आवास+ का उपयोग करके कुल 3.67 करोड़ बचे हुए परिवारों की पहचान की गई है।

आवास+ आंकड़ों के विश्लेषण के लिए मंत्रालय ने श्री नागेश सिंह, भूतपूर्व अपर सचिव (एमओआरडी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एनआरएसए), एनआईसी, सीईडीए और अन्य एजेंसियों के हितधारक शामिल हैं।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। रिपोर्ट में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों के आवंटन के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और परिवारों की प्राथमिकता के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी (2019-20 से 2021-22) के चरण-2 को मंजूरी देते हुए इस चरण के लिए 1.95 करोड़ मकानों के कुल लक्ष्य को मंजूरी दी थी, और यदि कोई कमी हुई, तो इसे 1.95 करोड़ की सीमा के साथ आवास + की अंतिम सूची से पूरा किया जाना है, उन राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राथमिकता पर जहां पीडब्ल्यूएल समाप्त हो गया है और वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात इन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्य आवंटित किया जाना है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर 195 करोड़ की अधिकतम सीमा के भीतर अंतिम आवास+ सूची से अतिरिक्त पात्र परिवारों को पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल करने के लिए वित मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया था। इससे मंत्रालय इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को लक्ष्य आवंटित कर सकेगा। तथापि, वित्त मंत्रालय ने मंत्रालय को इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी है। औपचारिक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जा रहा है।

21.04.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 2.16 करोड़ परिवारों को पीएमएवाई-जी के तहत सहायता प्रदान करने के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया है और एसईसीसी 2011 डेटाबेस से स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। एसईसीसी पीडब्ल्यूएल से कुल 206 करोड़ मकानों का आबंटन किया गया है क्योंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपात्र परिवारों को बाहर कर रहे हैं और अपने पीडब्ल्यूएल को कम कर रहे हैं। एसईसीसी पीडब्ल्यूएल में शामिल सभी पात्र परिवारों को पीएमएवाई-जी के तहत पक्के मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, 21.04.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 2.41 करोड़ परिवार आवास + डेटाबेस में पात्र के रूप में शेष हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की संख्या में अंतर को 2.95 करोड़ मकानों की अधिकतम सीमा के साथ आवास+ सूचियों से पाटा जाना है। पात्र राज्यों को अंतिम रूप दी गई आवास+ सूचियों से 0.64 करोड़ मकानों का लक्ष्य आबंटित किया गया है। 21.04.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 2.30 करोड़ मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, 2.19 करोड़ मकानों को सहायता की पहली किश्त जारी की गई है और संचयी रूप से 1.79 करोड़ मकानों को पहले ही पूरा कर लिया गया है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उन परिवारों से आधार विवरण और सहमति पत्र प्राप्त करें, जिनके डेटा को 30.06.2020 तक आवास + मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके सूचीबद्ध किया गया है, जिसे 31.7.2020 तक बढ़ाया जा सकता है।

17. तदुपरांत समिति ने यह जानना चाहा कि क्या पीएमएवाई-जी लाभार्थी के पास पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के निर्माण के लिए स्थान, अपनाए जाने वाले डिजाइन, उपयोग की जाने वाली सामग्री आदि को तय करने का विकल्प है। समिति ने यह भी जानना चाहा कि लाभार्थी उक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैसे भाग ले सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया: –

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत , घर का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा या उसकी देखरेख में घर का निर्माण किया जाएगा। यह लाभार्थी का विवेक है कि वह घर के डिजाइन का फैसला करे और घर के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का भी।

घर के निर्माण में लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है और कहा गया है कि पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकान अच्छी गुणवत्ता के हों।

(i)राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चयनित लाभार्थियों को आवास निर्माण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, जिनमें सहायता की मात्रा, उनके लिए चरणवार किस्तें, उनके क्षेत्र के लिए उपलब्ध उपयुक्त मकान के डिजाइनों के विभिन्न विकल्प, आपदा निरोधी विशेषताएं जिन्हें उनके इलाके में मकानों के लिए शामिल करने की आवश्यकता है, प्रारंभ में मुख्य मकान का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता, प्रत्येक चरण के निर्माण के लिए सामग्री की अनुमानित आवश्यकता, कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता और उनके संपर्क विवरण, उचित दर पर सामग्री की खरीद के लिए स्रोत आदि शामिल हैं।

(ii)राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को उनके निवास क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मकान डिजाइन के विभिन्न विकल्प प्रदान करेंगे।

(iii)ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण शुरू किया है कि निर्मित मकान अच्छी गुणवत्ता के हों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित राजमिस्त्री की पर्याप्त उपलब्धता हो।

(iV)राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थियों को उनके मकान के निर्माण के लिए तकनीकि सहायता प्रदान करने हेतु उच्च मानक वाले तकनीकि संस्थाओं या बिल्डिंग सेंटर की पहचान करनी है।

(V)राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना करेंगे, जो विभिन्न स्तरों अर्थात् जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर मकान के निर्माण की गुणवत्ता के कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करेगा।

(Vi)पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक घर को सरकारी कर्मचारी सहित एक ग्राम स्तर के पदाधिकारी से साथ जोड़ा जाएगा जो एक घर के पूरा होने तक लाभार्थी को सुविधा देगा और अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

(Vii)एनआरएल के अंतर्गत एसएचजी नेटवर्क का उपयोग करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) द्वारा आवासों के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की सहभागितापरक निगरानी के लिए एक समुदाय आधारित सहभागिता निगरानी प्रणाली स्थापित की जा सकती है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों को उनके आवास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त मकान डिजाइन और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विभिन्न विकल्प प्रदान करें। कोर हाउस डिजाइन में स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक निर्धारित स्थान शामिल होना चाहिए और एक शौचालय और स्नान क्षेत्र भी शामिल होना चाहिए। छत और दीवार को उस स्थान की जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए मजबूत होना चाहिए जिसमें लाभार्थी रहता है और भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि का सामना करने में सक्षम होने के लिए आपदा रोधी विशेषताओं (जहां आवश्यक हो) को भी शामिल होना चाहिए।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा में प्रावधान किया गया है कि राज्य निर्माण में जहां कहीं भी व्यवहार्य हो और लाभार्थियों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार पूर्व-निर्मित/इंजीनियर सामग्री के उपयोग पर विचार कर सकता है।

18. जब समिति द्वारा स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या स्थानीय श्रमिकों और लाभार्थियों को तकनीकी सहायता और आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य या ग्राम सभा स्तर (रों) पर कोई तकनीकी सहायता एजेंसी स्थापित की गई है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में बताया: –

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा में यह प्रावधान है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें लाभार्थियों को उनके मकान निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थानों या भवन केंद्रों की पहचान करें। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना करेंगे और विभिन्न स्तरों अर्थात् जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर मकान के निर्माण की गुणवत्ता के कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण आरंभ किया है कि निर्मित मकान अच्छी गुणवत्ता के हों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की पर्याप्त उपलब्धता हो। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के ग्रामीण राजमिस्त्री अर्हता पैक के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। जिन राजमिस्त्रियों को पीएमएवाई-जी के संभावित लाभार्थियों से जोड़ा जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है ताकि निर्मित घर अच्छी गुणवत्ता के हों और प्रशिक्षित राजमिस्त्री को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा सकें।

19. तदुपरांत समिति ने जानना चाहा कि क्या पीएमएवाई-जी के तहत रियल टाइम आवंटन और मकानों के निर्माण की निगरानी के लिए भौतिक निरीक्षण या नवीनतम प्रौद्योगिकी, जैसे मोबाइल एप्लिकेशन, जियो-टैगिंग आदि का उपयोग करके कोई साक्ष्य आधारित निगरानी/सत्यापन तंत्र मौजूद है और मंत्रालय से इस संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: –

मकान के निर्माण के विभिन्न चरणों की जियो-टैग, दिनांक और समय की स्टैम्पड लगी तस्वीरों को कैप्चर करके मकानों के निर्माण की वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की जाती है।

जियो-टैग की गई तस्वीर को कैप्चर करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मोबाइल एप्लिकेशन- 'आवासऐप' विकसित किया है। मंत्रालय ने बिना इंटरनेट नेटवर्क वाले क्षेत्रों और सीमित इंटरनेट बैंडविड्थ की कमी को दूर करने के लिए ऐप के भीतर डेटा कैप्चर और ट्रांसमिशन के लिए एक ऑफलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया है। इस एप्लिकेशन से अधिकारियों और नागरिकों को निर्माण के विभिन्न चरणों में मकान की स्टैम्पड तस्वीरों के जियो-टैग को कैप्चर करने, और अपलोड करने में आसानी होती है।

लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत आवासऐप का उपयोग करके भू-संदर्भित, तस्वीरों को कैप्चर करना और आवाससॉफ्ट पर इसे अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। आवाससॉफ्ट पर न्यूनतम 5 भू-टैग की गई तस्वीरें अपलोड की जानी हैं। तस्वीरों का विवरण इस प्रकार है

- मौजूदा आवास
- जिस स्थान पर मकान बनाना है
- फाउंडेशन/प्लिंथ स्तर
- विंडोसिल/लिंटर/रूफकास्ट स्तर
- समापन।

निर्माण की वास्तविक प्रगति की निगरानी निर्माण के प्रत्येक चरण में आवाससॉफ्ट पर आवासऐप के माध्यम से अपलोड की गई तस्वीरों द्वारा की जाएगी।

20. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) या राज्य सरकारों द्वारा लक्षित समूह, जो ज्यादातर गरीब हैं और अक्सर सरकार के कार्यक्रमों से अनजान हैं, को शिक्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कोई जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया: –

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमएवाई-जी सहित अपनी विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ करता है। पीएमएवाई-जी की सफल कहानियों को दूरदर्शन टीवी श्रृंखला "गाँव विकास की ओर" में प्रसारित किया जा रहा था।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा व्यापक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत प्रशासनिक निधि का उपयोग करते हैं।

योजना के शुभारंभ की तारीख, नवंबर, 20 को प्रति वर्ष आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को जागरूक करने और जागरूक बनाने के लिए इस अवधि के दौरान प्रति वर्ष आवास दिवस और आवास सप्ताह जश्न मनाते हैं।

21. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य और स्थानीय ग्राम सभा स्तरों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के पास शिकायत निवारण तंत्र है, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: –

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन (एफएफआई) के लिए फ्रेमवर्क के अनुसार, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण तंत्र

स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए शिकायतों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के एक अधिकारी को प्रत्येक स्तर पर नामित किया जाना है। प्रत्येक स्तर पर नामित अधिकारी शिकायत / शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत / शिकायत का निपटान करने के लिए जिम्मेदार है। शिकायत के समाधान के लिए प्रत्येक स्तर पर नामित शिकायत निवारण अधिकारी (नाम, टेलीफोन नंबर और पते सहित) का विवरण और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया प्रत्येक पंचायत में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करने की भी एक प्रक्रिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से या अन्यथा प्राप्त शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को शिकायत के निवारण के लिए अग्रेषित की जाती हैं।

22. समिति द्वारा विशेष रूप से यह पूछे जाने पर कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) या राज्य सरकारों को पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितता / भ्रष्टाचार अर्थात, लाभार्थी की पहचान / शामिल करने, अनुदान के आवंटन, आवंटन / मकानों के निर्माण आदि के संबंध में शिकायतें मिली है ? यदि हां, तो कृपया पीएमएवाई-जी की शुरूआत के बाद से मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों का विवरण प्रस्तुत करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: –

योजना में अनियमितताओं के उदाहरण अर्थात निधियों का दुर्विनियोजन, अपात्रों को मकान का आवंटन, किसी अन्य व्यक्ति के खाते में धनराशि जारी करना, रिश्वत मांगना और समय पर किश्तें जारी न करने से संबंधित शिकायत जब भी मंत्रालय में प्राप्त होती हैं तो उन्हें तुरंत संबंधित राज्य सरकार के साथ मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए उठाया जाता है। इसके अलावा, अनियमित प्रदर्शन के संबंध में शिकायतों पर संबंधित राज्यों के साथ त्रैमासिक प्रदर्शन समीक्षा बैठक के दौरान उचित कार्रवाई करने के लिए चर्चा की जाती है। वीआईपी से प्राप्त शिकायतों के मामले में और शिकायतों के संबंध में जहां यह मुद्दा उठाया गया है, प्रथम दृष्टया प्रकृति में गंभीर प्रतीत होता है, इस मंत्रालय के पैनल पर राष्ट्रीय

स्तर के मॉनिटर (एनएलएम) शिकायतों की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

दिनांक 01.04.2016 से 26.04.2020 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वास्तविक और सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त की गई और पीएमएवाई-जी (पूर्ववर्ती आईएआई) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/ भ्रष्टाचार के संबंध में संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई शिकायतों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

पीएमएवाई-जी के संबंध में अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के आम लोगों से कोई शिकायत नहीं मिली

क्र. सं.	राज्य का नाम	संपूर्ण
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	1
3	अरुणाचल प्रदेश	3
4	असम	11
5	बिहार	163
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	28
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	5
11	गोवा	0
12	गुजरात	2
13	हरियाणा	3
14	हिमाचल प्रदेश	1
15	जम्मू और कश्मीर	8
16	झारखंड	41
17	कर्नाटक	3

18	केरल	3
19	लद्दाख	0
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	96
22	महाराष्ट्र	61
23	मणिपुर	2
24	मेघालय	1
25	मिजोरम	0
26	नागालैंड	0
27	ओडिशा	44
28	पुदुचेरी	0
29	पंजाब	8
30	राजस्थान	17
31	सिक्किम	0
32	तमिलनाडु	37
33	तेलंगाना	4
34	त्रिपुरा	0
35	उत्तर प्रदेश	610
36	उत्तराखंड	14
37	पश्चिम बंगाल	31
	कुल	**1232**

23. समिति ने जानना चाहा कि क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने पीएमएवाई-जी की सफलता और इस योजना को लागू करने में आ रही प्रमुख चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई निष्पादन ऑडिट या थर्ड पार्टी असेसमेंट किया है? इस संबंध में, समिति ने मंत्रालय से इन चुनौतियों का सामना करने/दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए जा रहे उपायों के साथ-साथ इसके निष्कर्षों की गणना करने के लिए कहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: –

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीईपी) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (एनआईआरडी एंड पीआर) के माध्यम से पीएमएवाई जी की सफलता का आकलन करने के लिए 3 पार्टी मूल्यांकन किया था। अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं.। पीएमएवाई-जी की स्कीम का भी नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन सहित विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से जांच/मूल्यांकन किया गया है। ब्यौरा निम्नानुसार है --

"I. **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) द्वारा सितंबर, 2017 से दिसंबर, 2019 तक किया गया अध्ययन:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण" के मूल्यांकन के तीन चरणबद्ध अध्ययन किए गए थे, जिसमें रिसावों में कमी के साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रभाव आकलन भी शामिल था।

(i) अध्ययन का चरण 1 पीएमएवाईजी और इसके स्पिन ऑफ के कारण उत्पन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का आकलन और अनुमान लगाने पर केंद्रित हैं। अध्ययन में आकलन किया गया (क) राजमिस्त्री और निर्माण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों पर प्रभाव (ख) निर्माण सामग्री अर्थात् सीमेंट, इस्पात, ईंट, टाइल्स आदि की मांग, उत्पादन और व्यापारिक कार्यकलाप पर प्रभाव। अध्ययन माध्यमिक डेटा पर आधारित था। राज्य का कोई दौरा नहीं किया गया था।

(ii) अध्ययन के दूसरे चरण में पीएमएवाई-जी के तहत फंड प्रवाह तंत्र को ट्रैक करने और निर्माण की गुणवत्ता पर बेहतर फंड प्रवाह तंत्र के प्रभाव, पीएमएवाई-जी पर डीबीटी की भूमिका और प्रभाव और लीकेज में कमी पर पीएमएवाई-जी के तहत सुधारों के प्रभाव और आईटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित पीएमएवाई-जी सुधारों के कार्यान्वयन के कारण सरकार को बचत को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। टीम ने असम, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों का दौरा किया। प्राथमिक डेटा परिवारों के दो समूहों अर्थात् पीएमएवाई-जी परिवारों और गैर-पीएमएवाई-जी परिवारों से एकत्र किया गया था।

(iii) अध्ययन का चरण 3 स्वस्थ रहने वाले वातावरण, बढ़ी हुई उत्पादकता और अन्य सामाजिक लाभों और लाभार्थियों और ऐसे अतिरिक्त संसाधनों के स्रोतों द्वारा तैनात अतिरिक्त संसाधनों के आकलन पर लाभार्थी को अमूर्त लाभों पर केंद्रित है। टीम ने असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया,

(iv) अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:

(क) रोजगार के संदर्भ में, पहाड़ी / आईएपी जिले में एक पीएमएवाईजी घर का निर्माण कुशल श्रम के 48 मानव दिवस और अकुशल श्रम के 105 मानव दिवस उत्पन्न करता है।

(ख) पीएमएवाईजी के कारण, ईंटों की अतिरिक्त मांग पिछले दो वर्षों के दौरान 3063.14 करोड़ (संख्या में) होने का अनुमान है। इसी तरह, सीमेंट की अतिरिक्त मांग 23.61 करोड़ बैग, स्टील 1.75 करोड़ क्विंटल, और रेत 3.95 करोड़ घन मीटर है।

(ग) निर्माण संबंधी सामग्रियों की बढ़ती माँग ने अर्थव्यवस्था में 2.16 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा की हैं।

(घ) नमूना आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि आईएवाई के तहत एक घर को पूरा करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या 314 दिन (10 महीने से अधिक) थी, जबकि 2016-17 में पीएमएवाई के पहले वर्ष के तहत 221 दिन (सात महीने) और 2017-18 में पीएमएवाई के दूसरे वर्ष के दौरान लगभग 114 दिन (तीन महीने) थे।

(ङ) यह देखा गया कि सर्वेक्षण के दौरान आवाससॉफ्ट में दिखाए गए पूर्ण मकानों और जमीनी स्तर पर मकानों की स्थिति के संदर्भ में कुछ विसंगतियां हैं।

(V) योजना की प्रत्येक टिप्पणी पर मूल्यांकन/परिणाम समीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष और मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)		
क्र. सं.	टिप्पणियाँ	मंत्रालय की टिप्पणियां
1.	आवाससॉफ्ट के आधार पर यह पाया गया कि समग्र डिजाइन में सुधार के बावजूद, (हालांकि आईएवाई के मामले में अपेक्षाकृत कम है), अभी भी उन लाभार्थियों के पास व्यय न की गई काफी राशि मौजूद है जिनके आवासों का निर्माण पूरा होने की शून्य या नगण्य संभावना है। यह पाया गया कि कई राज्य निर्माण के विभिन्न चरणों में अधूरे आवासों की उच्च दर के कारण लाभार्थियों को अपने संभावित व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक जारी करने में असमर्थ रहे।	मंत्रालय उन मकानों की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है जो पहली किस्त जारी किए जाने की तारीख से 12 माह बीत जाने के बाद भी अधूरे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवासन, मृत्यु, अनिच्छुक लाभार्थियों के कठिन मामलों से निपटने का निदेश दिया गया है।
2.	70,000 रुपये तक की विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) पर संस्थागत वित्त का लाभ उठाने के संदर्भ में, कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं है कि निर्माण के किस चरण में लाभार्थी ऋण सुविधा का लाभ उठा सकता है। यह भी बताया गया कि लाभार्थी को ऋण (70,000 रूपए तक) प्रदान करने में बैंक कम इच्छुक हैं।	अपने मकानों के निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने में लाभार्थियों की सहायता करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया गया है।
3.	कुछ जिलों में निगरानी में कमी पाई गई क्योंकि अधिकारियों को कई केंद्रीय और राज्य योजनाएं	राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जिलों के साथ वीडियो

	सौंपी जाती है, जो प्रायः निर्माण में देरी का कारण होता है।	सम्मेलन बैठकों और फील्ड दौरों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करें।
4.	आवाससॉफ्ट में दिखाए गए पूरे हो चुके आवासों और सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर आवासों की स्थिति के संदर्भ में कुछ विसंगतियां हैं। कुछ मकानों में फर्श, प्लास्टर, दरवाजे, खिड़कियां और पेंट भी नहीं पाया गया था। पीएमएवाई-जी के तहत निर्माण के पूरा होने के बाद कुछ आवासों में दरारें भी देखी गई थीं, जो कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्माण की गुणवत्ता में कुछ समझौता किया जाना दर्शाती थीं।	मंत्रालय ने पूर्ण हो चुके मकानों में विसंगतियों की समीक्षा करने के लिए एक आवास गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल विकसित किया है। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवास की गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्टों को भी राज्यों के साथ साझा किया जाता है। मंत्रालय निरीक्षण दौरे भी करता है; यदि आवश्यक हो तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

दो. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडी) द्वारा "पीएमएवाई-जी" का प्रभाव आकलन**

() आकलन करने हेतु एनआईआरडी द्वारा अध्ययन किया गया:-

(क) लक्ष्य आबादी की भौतिक स्थितियों में सुधार के संबंध में कार्यक्रम के उद्देश्य किस हद तक पूरा किया गया; तथा

(ख) नए घर के मालिक होने के परिणामस्वरूप लक्ष्य आबादी द्वारा अनुभव किए गए सामाजिक-आर्थिक सुधार।

() तीन राज्यों नामतः मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अध्ययन आयोजित कराया गया था (छह जिलों में 24 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए, 1382 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का साक्षात्कार लिया गया)।

() कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

(क) 1382 लाभार्थियों के साक्षात्कार में, 900 लाभार्थी 30-53 वर्ष की आयु वर्ग में थे। इन 900 लाभार्थियों में से लगभग 500 लाभार्थी 30-41 वर्ष की आयु सीमा के भीतर थे।

(ख) किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह पाया गया है कि 67% एकल परिवार हैं और 33% संयुक्त परिवारों से संबंधित हैं। इसके अलावा, यह पाया गया कि 37% परिवारों में एक अतिरिक्त सदस्य (परिवार के मुखिया के अलावा) है, जो बकरी/भेड़ पालन में खुद को शामिल करके, दूध के लिए गाय रखने, हस्तकला के काम आदि में खुद को शामिल करके परिवार में अतिरिक्त आय जोड़ने में शामिल है।

(ग) पीएमएवाईजी लाभार्थियों में से लगभग 95% मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं।

(घ) पीएमएवाईजी के 81% घर विदयुतीकृत है। प्रतीक्षा सूची में शामिल 66% घर पहले से ही विघुतीकृत घर हैं।

(ङ) यह पाया गया कि लगभग 80% लाभार्थियों ने अपने पीएमएवाईजी सहायता प्राप्त मकानों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन का निवेश किया है। खर्च की गई औसत राशि रु. 60,000/- थी। ज्यादातर मामलों में खर्च की गई राशि रु 50,000 से लेकर रु.80,000/- है।

(च) सामाजिक स्थिति, स्व मूल्य, आत्मविश्वास का स्तर स्वामित्व की भावना, सुरक्षा और रक्षा की भावना, स्वास्थ्य में कथित सुधार, जीवन की समग्र गुणवत्ता और नए घर के बारे में संतुष्टि जैसे संकेतक गैर पीएमएवाईजी समूह की तुलना में पीएमएवाईजी लाभार्थियों को बहुत बेहतर लगते हैं।

तीन. **नवंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक नीति आयोग द्वारा अध्ययन:** सरकार ने नीति आयोग के विकास मूल्यांकन और निगरानी संगठन को इस संदर्भ में परिभाषित शर्तों के साथ पीएमएवाई-जी सहित सभी सीएसएस का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसमें पीएमएवाई-जी सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाएं शामिल थीं। योजना के प्रत्येक टिप्पणियों पर मूल्यांकन/परिणाम समीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष और मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

नीति आयोग का मूल्यांकन अध्ययन		
क्र. सं.	प्रमुख टिप्पणियां	मंत्रालय की टिप्पणियां
1.	मार्च 2021 से पहले पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के भाग के रूप में डीओआरडी द्वारा पात्र बेघर परिवारों की पहचान करने के लिए निर्धारित किए जाने वाले पैरामीटर ताकि वित्त वर्ष 2021-2022 से नए दिशानिर्देशों को लागू किया जा सके।	पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए एक पारदर्शी और मजबूत पद्धति को पहले ही योजना दिशानिर्देश के अध्याय 4 में शामिल किया जा चुका है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया को आवास वंचन मानदंडों और एसईसीसी 2011 के बहिष्करण मानदंडों के आधार पर पहले से ही परिभाषित किया गया है जो ग्राम सभा और अपीलीय प्रक्रिया द्वारा उचित सत्यापन के अध्यधीन है। पीडब्ल्यूएल में शामिल करने के लिए आवास+ से अतिरिक्त परिवारों की पहचान करने के लिए समान मापदंडों का उपयोग किया गया था।
2.	मार्च 2021 तक राज्य भूमिहीन परिवारों को आवास भूमि उपलब्ध कराने के लिए	पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल में 4.46 लाख चिन्हित भूमिहीन लाभार्थियों की तुलना में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.04 लाख लभार्थियों

	अपनी कार्य योजनाएं विकसित करेंगे।	को पहले ही भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष 2.42 लाख भूमिहीन लाभार्थियों के लिए की गई कार्रवाई और कार्यनीति इस प्रकार है: • <u>पीएमएवाई-जी के एफएफआई के पैरा 5.2.2 में प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिहीन लाभार्थियों को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि प्रदान की जाए।</u> • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी कि वे भूमिहीनों को भूमि के 100% प्रावधान के लिए 15 जून, 2021 की समय-सीमा के साथ समयबद्ध तरीके से भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के पीएमएवाई-जी से संबंधित सचिव (राजस्व) और सचिव को शामिल करते हुए मुख्य सचिव के तहत कार्यबल का गठन करें।. • प्रमुख राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कार्यकलाप शुरु करने का अनुरोध किया गया है।
3.	राज्य सरकारें छत्तीसगढ़ के आवासमित्र मॉडल की प्रतिकृति का पता लगाएंगी जिसमें आवासों को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन शामिल है। ग्रामीण विकास विभाग मार्च	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि जैसे कुछ राज्यों में छत्तीसगढ मॉडल कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें आवास मित्र/सहायक को उन्हें सौंपे गए आवासों को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, प्रशासनिक निधि में कमी से राज्यों में इस

	2021 तक इस तरह के प्रोत्साहन मॉडल की प्रतिकृति का पता लगाएगें।	मॉडल पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, राज्यों को अपने बीच और मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं के दौरान भी सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4.	ग्रामीण विकास विभाग एमआईएस के आंकडों में संशोधन करेगा और बदले गए मॉड्यूल के संबंध में राज्य सरकार को मार्च 2021 तक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	आंकड़े को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है और उनमें संशोधन किए जा रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को नए मॉड्यूलों के संबंध में ऑनलाइन सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर अलग-अलग प्रशिक्षणों की भी व्यवस्था की जाती है।
5.	ग्रामीण विकास विभाग क्षेत्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन करेगा और पीएमएवाई-जी के तहत गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की भागीदारी के लिए विचारार्थ शर्तें निर्धारित करेगा।	• पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों के गुणवत्ता पहलुओं सहित पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अकादमिक/तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। • उत्तर प्रदेश और असम में लाभार्थियों को दिखाने के लिए आवासों का निर्माण करने के लिए सीएसआईआर-सीबीआरआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें सीएसआईआर-सीबीआरआई के इंजीनियरों द्वारा स्थानीय सरकारी अधिकारियों को जानकारी देना भी शामिल होगा। • मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आईआईटी, दिल्ली के परामर्श से पहल

		नामक 108 हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी तैयार की हैं और उन्हें लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया है। • गुणवत्ता पहलुओं सहित आवासों की नियमित निगरानी के लिए एनएलएम को तैनात किया जाता है।
6.	राज्य सरकार अपनी वार्षिक आईईसीस योजना तैयार करेगी जो मार्च 2021 तक योजना के तहत ऋण की उपलब्धता का प्रमुख रूप से प्रचार-प्रसार करेगी।	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य योजना को मंजूरी देते समय अधिकार प्राप्त समिति की फरवरी-मार्च 2021 में आयोजित बैठक के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आईईसी योजना की समीक्षा की गई थी। **डीएफएस से अनुरोध किया गया है कि वह हस्तक्षेप करें और पीएमएवाई-जी लाभार्थियों हेतु ऋण उत्पाद के लिए आईबीए को निदेश दे, तथापि, यह अभी भी डीएफएस के पास लंबित है।**
7.	पीएमएवाई-जी की विशेष परियोजनाओं के तहत 2 प्रतिशत निधियों को आवास की हरित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आवंटित किया जाएगा। जिला स्तर पर डीएमएफ से 10 प्रतिशत निधियां अपने आवासों के निर्माण के लिए हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विकल्प चुनने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के रूप	• पहल के अंतर्गत विकसित आवास डिजाइन टाइपोलॉजी में स्थानीय सामग्रियों के उपयोग के साथ टिकाऊ और आपदारोधी आवासों का प्रावधान किया गया है। • लाभार्थियों को हरित तकनीकी से विकसित आवासों के साथ उपयुक्त डिजाइन चुनने की सुविधा प्रदान की जाती है। • पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, विशेष परियोजनाओं के लिए पहले से ही प्रावधान है जिसके लिए 5% निधियों को केन्द्रीय स्तर पर आरक्षित रखा गया है। पैरा 11.1.1 घ में **नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का प्रावधान है- "विशेष रूप से किफायती और**

	में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	हररित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करने के साथ"।
8.	पीएमएवाई-जी को अपने वार्षिक बजटीय आवंटन (मनरेगा के लिए बेंचमार्क) का 6% राज्यों को प्रशासनिक वित्त पोषण प्रदान करना चाहिए।	नीति आयोग के प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट में पीएमएवाई-जी के तहत प्रशासनिक वित्त पोषण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की गई है। तथापि, योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक निधि की आवश्यकता का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद और वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने इसे 2% से 4% तक बनाए रखने का प्रस्ताव किया है। दिनांक 26 अगस्त, 2021 को आयोजित ईएफसी की बैठक में इस पर सहमति नहीं बनी थी।

चार. **समान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम):** ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार की पूर्व सचिव सुश्री वृंदा सरूप की अध्यक्षता में समान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) - IV(15 से 28 दिसंबर 2018) सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम)-V(04 से 14 नवम्बर, 2019) की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री राजीव कपूर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मुद्दों को समझने के लिए- बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के माध्यम से लोगों की भलाई में सुधार के लिए अच्छी पद्धतियों का दस्तावेजीकरण, इस प्रकार इसकी प्रतिकृति के अवसर पैदा करना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और सुधार करने के लिए पाठ्यक्रम-मध्य सुधारों का भी सुझाव देना था। योजना की प्रत्येक टिप्पणी पर मूल्यांकन/परिणाम समीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष और मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:-

		है।
3.	एसईसीसी सूचियाँ समय के साथ पुरानी हो जाती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि बहिष्कृत और वंचितों को अब ग्रामीण विकास की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत शामिल किया जाए।	एसईसीसी डेटाबेस को अपडेट करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आधार-आधारित राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री की योजना बनाई है
4.	एक सामान्य शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर विचार करने की आवश्यकता है जो वास्तविक समय आधारित फीडबैक के साथ-साथ शिकायतों के जवाबदेहीपूर्ण निवारण के लिए आईवीआरएस, क्राउड-सोर्सिंग, हेल्पलाइनों आदि जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।	तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए हेल्पलाइन/हेल्पडेस्क प्रचालन में हैं।
5.	आवास+ सूची को अद्यतन करने के लिए अवधि बढ़ाने पर विचार करने की आवश्यकता है	आवास+ सर्वेक्षण जनवरी, 2018 में शुरू हुआ था। प्रारंभ में जिसकी समय सीमा 31 मार्च, 2018 थी। इस समय सीमा को 30 जून, 2018; 30 सितंबर, 2018; 30 नवंबर, 2018 और अंत में 7 मार्च, 2019 तक 4 बार बढ़ाया गया था। संभावित लाभार्थियों की पहचान करने और आवास+ ऐप का उपयोग करके उन्हें पंजीकृत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त समय दिया गया है। चूंकि मंत्रालय ने अंतिम आवास+ सूची

सामान्य समीक्षा मिशन		
क्र. सं.	टिप्पणियां	मंत्रालय की टिप्पणियां
1.	आवास निर्माण के लिए पात्र भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए भूमि पट्टों के आवंटन में तेजी लाने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत सभी अधूरे आवासों को पूरा करने पर जोर देने की आवश्यकता है।	मंत्रालय राज्यों द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराए जाने की निगरानी करता है। दिनांक 09.07.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-जी की स्थाई प्रतीक्षा सूची में कुल 4,46,134 भूमिहीन लाभार्थियों की तुलना में, 2,00,748 लाभार्थियों को पहले ही भूमि प्रदान की जा चुकी है, 3,128 लाभार्थियों को भूमि खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 2,42,258 लाभार्थियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि प्रदान किया जाना शेष है। भूमिहीन लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और वे स्थायी प्रतीक्षा सूची (स्थाई प्रतीक्षा सूची) के शीर्ष पर बने रहते हैं।
2.	ग्रामीण विकास और पंचायजी राज की सभी योजनाओं के लिए एक एकीकृत सामाजिक लेखा परीक्षा पर विचार किया जाए।	पीएमएवाई-जी में सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश नवंबर 2019 में जारी किए गए थे। राज्यों को पीएमएवाई-जी में भी सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए मनरेगा सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को शामिल करने का निदेश दिया गया

		से पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50.99 लाख मकानों का लक्ष्य पहले ही आवंटित कर दिया है और अन्य पात्र राज्यों के लिए आवास+ सूचियों को अंतिम रूप देने तथा लक्ष्यों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है, इसलिए इस सिफारिश पर विचार किया जाना व्यवहार्य नहीं है।
6.	यद्यपि लाभार्थियों द्वारा चयन किए जाने के लिए आवास डिजाइन टाइपोलॉजी उपलब्ध हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय इन टाइपोलॉजी के साथ-साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करेगा।	मंत्रालय ने प्रदर्शन किए जाने योग्य आवासों के निर्माण के लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
7.	जहां तक ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण का संबंध है, यह सुझाव दिया जाता है कि, राज्यों को आवास निर्माण लक्ष्यों की तरह ही, राजमिस्त्री प्रशिक्षण लक्ष्य भी दिए जाएंगे और समय-समय पर इसकी जानकारी रखने के लिए उचित दिशानिर्देश और परामर्श जारी किए जाएंगे।	ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) दिशानिर्देश राज्य-वार लक्ष्यों के साथ 08 सितंबर, 2017 को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आरएमटी के तहत 12 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रगति निम्नानुसार है:- नामांकित: 2,06,011 पास और प्रमाणित: 1,24,946

24. तत्पश्चात, समिति ने मंत्रालय से इस विषय पर श्री भवर सिंह के अभ्यावेदन के लिए कोई अन्य प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करने को कहा। इस संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 के अनुसार आवास और अन्य सामाजिक-आर्थिक अभाव मापदंडों पर आधारित है। पीएमएवाई-जी के अनुसार सभी ग्रामीण बेघर और शून्य, एक या दो कमरे वाले मकानों में रहने वाले मकानों में, एसईसीसी के अनुसार अपवर्जन प्रक्रिया के अधीन और ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापित और स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पीएमएवाई-जी के तहत यह विषय 2.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य की सीमा के अध्यधीन है।

श्री भवर सिंह की वर्तमान याचिका के संबंध में, यह कहा जाता है कि चूंकि ग्रामीणों की याचिका में उल्लिखित 54 (22 + 32) ग्रामों के पूर्ण विवरण (अर्थात संबंधित ग्राम पंचायत नाम) शामिल हैं। घूरी, हाथियाभीत और मोहनदास का उल्लेख सिंह को प्रदान नहीं किया गया है, यह जाँच नहीं की जा सकी है कि क्या वे पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं या नहीं। इसके अलावा, ब्लॉक/तहसील-चायल/नेवादा/मूरतगंज के लिए पीडब्लूएल की इस सूची में चायल खास, घूरी, हथियाभीत और मोहनपुर नाम का कोई जीपी नहीं है। इसलिए, केंद्रीय स्तर पर पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (स्थाई प्रतीक्षा सूची) में उनके समावेश को जांचना संभव नहीं है, जब तक कि ग्राम पंचायत की जानकारी प्रदान नहीं की जाती है।

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी लागू कर रहे हैं, इसलिए, पीएमएवाई-जी के तहत आवास आवंटन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और इस मंत्रालय को सूचित करते हुए आवेदकों को सीधे उत्तर भेजने के लिए संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मंत्रालय के दिनांक 7 जनवरी, 2020 के पत्र के द्वारा अभ्यावेदन भेज दिया गया था।

इस संबंध में, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया दिनांक 25 अप्रैल, 2022 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसमें राज्य ने इन 54 परिवारों की स्थिति की सूचना निम्नानुसार प्रदान की है:

ब्लॉक	कुल आवेदक	पात्र		अपात्र
		आवास उपलब्ध कराए गए है	अभी आवास उपलब्ध कराया जाना है	
नेवादा	22	2	8	12
मूरतगंज	32	4	15	13
कुल	54	6	23	25

''सभी के लिए आवास'' सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का समग्र लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा से विधिवत सत्यापन तथा अपीलीय प्रक्रिया के समापन के अधीन सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 और पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए कराए गए ''आवास+'' सर्वेक्षण से की गई है। एसईसीसी 2011 के डाटा के माध्यम से उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की संख्या फिलहाल 2.15 करोड़ (लगभग) है। 80 लाख मकानों की कमी (2.95-2.15) को पूरा करने के उद्देश्य से आवास+ के डाटा का उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल आवास+ में मकान का दावा करने वाले पात्र लाभार्थियों की संख्या 2.7 करोड़ है, जिनमें से केवल 80 लाख मकान (लगभग) इस डाटाबेस से स्वीकृत किए जा सकते हैं ताकि उक्त कमी पूरी हो पाए।

इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवास+ सूची से लक्ष्य का आवंटन पीडब्लयूएल में परिवारों की संख्या को 50% और एनएसओ सर्वेक्षण के अनुसार कच्चे मकान में रह रहे परिवारों की संख्या को 50% वेटेज के आधार पर किया जाता है। अत: प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आबंटित किए

जाने वाले लक्ष्यों की उच्चतम सीमा तय है और इस सर्वेक्षण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंजीकृत परिवारों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए पूरे देश में आवास+ सूची से आबंटित किए जाने वाले मकानों की अधिकतम संख्या 80 लाख है। ग्राम पंचायतों को लक्ष्यों का आबंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, एसईसीसी आधारित स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी लाभार्थियों को लाभान्वित कर चुके 28 पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवास+ सूची से पूर्ण और अंतिम लक्ष्यों के रूप में 63.76 लाख मकानों का लक्ष्य पहले ही आबंटित किया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को आबंटित 11,66,127 मकान शामिल हैं। दिनांक 27.04.2022 तक उत्तर प्रदेश राज्य ने उक्त आवास+ लक्ष्य में से लाभार्थियों को 11,59,527 मकान पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं और 11,08,480 मकानों का निर्माण संपन्न हो गया है।

25. श्री भवर सिंह के तत्काल अभ्यावेदन की व्यापक जांच के संबंध में, याचिका समिति ने 19 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए।

26. उक्त बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान समिति ने निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा:-

1. *पीएमएवाई जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना, 2011 के आकड़ों पर आधारित है। इस तथ्य के बावजूद, क्या कारण है कि अत्यधिक गरीब लोग और अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति उक्त आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं?*
2. *कितने वर्षों में पीएमएआई जी के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को आवास मिल पाएगा?*
3. *पीएमएवाईजी के तहत लाभार्थियों के लिए मकानों के निर्माण और आवंटन के बाद, यदि ऐसी आवास इकाइयों को मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान मौजूद है? यदि हां, तो ये प्रावधान क्या है?*

4. क्या पीएमएवाईजी के तहत लाभार्थी परिवारों को आवास सुविधाओं के साथ बिजली, पानी, सड़क आदि जैसी मूलभूत सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं?

5. इस तथ्य के दृष्टिगत कि पीएमएवाई जी के आरम्भ हुए लम्बा समय बीत चुका है, इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है?

6. पीएमएवाई जी के तहत लाभार्थी परिवारों की सूची का विगत तीन वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, काफ़ी संख्या में लाभार्थी परिवार इससे बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में, क्या इस सूची के अद्यतन सम्बन्धी वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा की आवश्यकता है ताकि बाहर हो चुके पात्र परिवारों को शामिल किया जा सके?

7. क्या फर्जी आवेदकों को सूची से बाहर करने के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों हेतु विद्यमान सत्यापन तंत्र त्रुटिरहित है?

8. क्या पीएमएवाई जी के प्रभावी कार्यान्वयन के विनियमन, निरीक्षण, फीडबैक आदि के लिए कोई तंत्र मौजूद है?

9. चूंकि पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि वास्तविक स्वीकृत राशि से बहुत अधिक है, प्राथमिकता सूची बनाने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है? क्या ये मानदंड पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने हेतु सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु व्यापक हैं?

27. इसके उत्तर में, समिति के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार थे:-

() पीएमएवाई जी के तहत लाभार्थियों की पहचान शुरू में सामाजिक- आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी-2011) के आंकड़ों के आधार पर की गई। पीएमएवाई-जी योजना के तहत, एसईसीसी- 2011 के अनुसार स्वतः बाहर होने की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मकानों को छोड़कर बेघर अथवा दो या उससे कम कमरे वाले कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पात्र लाभार्थियों के रूप में माना जाता था। ऐसे पात्र लाभार्थियों की सूची में 4.03 करोड़ परिवार शामिल हैं। इस सूची को ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था। सूची से असंतुष्ट परिवार एडीएम स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जिला स्तरीय अपीलीय समिति से संपर्क कर सकते हैं। समिति के निर्णय के अनुसार कुछ परिवार पात्र पाए पाए जाने की स्थिति में, ऐसे परिवारों

को भी सूची में शामिल किया गया और इस प्रकार कुल 2.95 करोड़ परिवार पात्र पाए गए और उन्हें इस योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए। हालांकि भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि इनमें से कुछ परिवार पात्र होने के योग्य नहीं थे। क्योंकि उनमें से कुछ के पास अपने पक्के घर थे जिन्हें उन्होंने बेच दिया था कुछ स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर चले गए थे। कुछ के पास उनके उत्तराधिकारी नहीं थे आदि। ऐसे अपात्र परिवारों को बाहर करने के बाद अंतिम सूची में 2.15 करोड़ परिवार बचे। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 80 लाख के अंतर के कारण फिर से आवास ++ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक बचे हुए मकानों को शामिल करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। हालांकि लगभग 3.57 करोड़ परिवारों ने अपना पंजीकरण कराया। ऐसी अप्रत्याशित संख्या का कारण इस योजना का अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से परिवारों के उप-विभाजन को माना जाता है। इसलिए इस बार बाहर करने संबंधी मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया और इसके परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ परिवार अंतिम सूची में जगह बना सके। तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य आवंटित किया गया और प्राथमिकता सूची के अनुसार इस योजना को लागू करने के लिए कहा गया।

() श्री भवर सिंह के वर्तमान अभ्यावेदन के संबंध में, पीएमएवाई- जी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों की कुल संख्या 54 है जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 25 परिवार अपात्र पाए गए। बचे हुए 6 परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है। बचे हुए परिवारों को उचित सत्यापन के बाद प्राथमिकता सूची के अनुसार सहायता दी जाएगी।

() अब तक पीएमएवाई-जी के तहत कुल 1,81,38,509 आवास बनाए गए हैं जबकि कुल 2,39,69,592 परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हो गए हैं। 2.95 करोड़ परिवारों का अनुमानित लक्ष्य मार्च, 2024 में पूरा होना है।

(iv) पीएमएवाईजी के तहत बने आवासों की मरम्मत के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

() इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चार सुविधाएं उल्लिखित हैं:-

(क) स्वच्छ भारत मिशन (जी), मनरेगा और कोई अन्य समर्पित वित्तीय स्रोत के तहत शौचालय के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 12,000 रु. तक की सहायता मिलती है।

(ख) परिवारों को इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है।

(ग) परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जलापूर्ति कनेक्शन भी मिलता है और

(घ) परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिल रहे हैं।

(vi) पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण निम्नानुसार किया जाता है:-

(क) पंचायत की दीवारों की पेंटिंग के माध्यम से लाभार्थियों का अभिमुखीकरण और संवेदीकरण किया जा रहा है जिसमें उस वर्ष की प्राथमिकता सूची/स्थायी प्रतीक्षा सूची दशाई जाती है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को खंड अथवा जिला स्तर पर मिलने वाले लाभों के विवरण संबंधी सूचना, जैसे कि, इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं, किश्तों की संख्या जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, शिकायतें कैसे दर्ज की जा सकती हैं, आदि दिए जाते हैं।

(ग) 10% आवासों का निरीक्षण खंड स्तर के अधिकारियों तथा 2% आवासों का निरीक्षण जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(घ) मंत्रालय स्तर के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) दिशा समितियों के द्वारा भी निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(च) प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक ऑडिट किए जाने का भी प्रावधान है।

(छ) मनरेगा से अलग, पीएमएवाई-जी के तहत लोकपाल का प्रावधान नहीं है। हालांकि, मनरेगा के लोकपाल को पीएमएवाई-जी संबंधी मामलों की देख-रेख की जिम्मेदारी भी सौंपी है।

(ज) प्रतिष्ठित संस्थानों के संकाय सदस्यों और जांचकर्ताओं द्वारा गठित राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) विभिन्न मानदंडों, ट्रेंडों आदि की प्रगति के मूल्यांकन और लाभार्थियों के संतुष्टि के स्तर संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-जी आवासों को देखने के लिए क्षेत्रीय दौरें करते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 5000 ग्राम पंचायतों का एनएलएम के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है जिसके आधार पर यह पाया गया कि तीन चौथाई लाभार्थी पूरी तरह संतुष्ट हैं, एक चौथाई लाभार्थी कुछ हद तक संतुष्ट हैं और कुल लाभार्थियों का लगभग 1 % 'असंतुष्ट है।

(vii) यदि पीएमएवाईजी के तहत आवास अपात्र भूमि आदि पर बना पाया जाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। ऐसी घटनाएं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई के कारण होती हैं जो भूमि के उचित सत्यापन के बिना आवासों के निर्माण के लिए आवंटन और स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार ऐसे लाभार्थियों की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) की है।

टिप्पणियां/सिफारिशें

सरकार के विजन 2022 तक 'सभी के लिए आवास' की तुलना में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

28. समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के आलोक में श्री भवर सिंह के तत्काल अभ्यावेदन की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए नोट किया कि इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), एक ग्रामीण आवास योजना, मार्च 2016 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले परिवारों को घर उपलब्ध कराना था। आईएवाई के तहत, इसकी स्थापना के बाद से, 360 लाख ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई थी, जिस पर कुल 1,06,798.93 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। हालांकि, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए और 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के लिए सरकार के दृष्टिकोण के संदर्भ में, ग्रामीण आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कर दिया गया था, जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू हुई। वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' के उद्देश्य को पूरा करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।

29. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत आवंटन और लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित दी गई सूचना के आधार पर, समिति ने नोट किया कि 21.04.2022 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत सहायता प्रदान करने के लिए पात्र के रूप में कुल 2.16 करोड़ परिवारों की पहचान की गई थी और उन्हें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 डेटाबेस से स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल किया गया था। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया था कि एसईसीसी-पीडब्ल्यूएल से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल

2.06 करोड़ मकानों का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद 2.95 करोड़ मकानों के प्रारंभिक लक्ष्य और एसईसीसी, 2011 डेटाबेस के अनुसार चिन्हित पीएमएवाईजी लाभार्थी परिवारों के बीच के अंतर को भरने और शेष परिवारों को शामिल करने के लिए जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 तक आवास+ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया गया था। 21.04.2022 तक, कुल 2.41 करोड़ परिवार आवास+ डेटाबेस में पात्र बने हुए हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की संख्या में अंतर को 2.95 करोड़ मकानों की ऊपरी सीमा के साथ आवास+ सर्वेक्षण सूची से पूरा किया जाना है। इस संदर्भ में, समिति को यह भी सूचित किया गया कि आवास+ सर्वेक्षण सूची से पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतिम आवास+ लक्ष्य सूची से 0.64 करोड़ मकानों का लक्ष्य पहले ही आवंटित किया जा चुका है। 21.04.2022 के अनुसार, पीएमएवाई-जी की शुरुआत के बाद से कुल 2.30 करोड़ मकानों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1.79 करोड़ मकानों को संचयी रूप से पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, संचयी 2019 करोड़ मकानों को सहायता की पहली किस्त भी जारी की गई है।

30. पीएमएवाई-जी के तहत मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित चरण-वार वास्तविक लक्ष्य और समग्र उपलब्धि का विश्लेषण करते हुए, समिति नोट करती है कि चरण-1 (2016-17 से 2018-19) के तहत, 1 करोड़ पीएमएवाई-जी आवास इकाइयों का निर्माण करने का लक्ष्य था, जबकि चरण-2 (2019-20 से 2021-22) के तहत, 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य था। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा उपलब्ध कराए गए सांख्यिकीय ब्यौरे के आधार पर, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पीएमएवाई-जी के चरण-1 (2016-17 से 2018-19) के तहत, 9,901,180 मकानों के लक्ष्य के मुकाबले 12,402,374 मकानों का निर्माण किया गया था, जिससे यह संख्या बढ़कर 2,501,194 हो गया। तथापि, योजना के चरण- (2019-20 से 2020-21) के तहत, 17,414,035 मकानों

(26.04.2022 तक) के लक्ष्य की तुलना में 9,988,240 मकानों का निर्माण पूरा हो गया था, अर्थात 7,425,795 कम मकानों का निर्माण हुआ था। उपरोक्त आंकड़ों से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चरण- और II के तहत 27,315,215 मकानों के संयुक्त लक्ष्य में से पीएमएवाई-जी के तहत 26.04.2022 तक केवल 22,390,614 (82%) मकानों के निर्माण को पूरा किया गया है। दूसरे शब्दों में, अभी भी लक्ष्य में 18% की कमी है। चूंकि पीएमएवाई-जी पहले ही समापन चरण में है, इसलिए समिति यह समझती है कि योजना के चरण-II के तहत निर्मित की जाने वाली आवास इकाइयां पूरी होने के विभिन्न चरणों में हो सकती हैं, तथ्य यह है कि यह योजना अपने लक्ष्यों के संदर्भ में पिछड़ रही है। यद्यपि, समिति मानती है कि चरण-II के दौरान योजना की प्रगति की धीमी गति मोटे तौर पर कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण थी, जिसमें पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के निर्माण सहित सभी निर्माण संबंधी कार्यकलाप प्रभावित हुए थे। समग्र जमीनी हकीकत और सरकार की पवित्र मंशा को ध्यान में रखते हुए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नई गति के साथ अपने प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और समन्वय से एक नई कार्यनीति पर विचार करना चाहिए ताकि मकानों के निर्माण को पूरा करने के समग्र लक्ष्य में कमी को न्यूनतम तक लाया जा सके। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर उपर्युक्त सभी पहलुओं पर उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

31. अभ्यावेदन की जांच के दौरान, समिति ने स्कीम की समग्र वित्तीय प्रगति की भी जांच की। इस क्रम में, समिति ने पाया कि पीएमएवाई-जी की लागत भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है, जबकि उत्तर-पूर्वी और दो हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और संघ-राज्य क्षेत्र

जम्मू और कश्मीर के मामले में, साझाकरण पैटर्न 90:10 के अनुपात में है। तथापि, शेष संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 100% सहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

32. मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि कैंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएमएवाई-जी के अनुमोदन के अनुसार, 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय आवश्यकता को आंशिक रूप से सकल बजटीय संसाधनों (जीबीएस) से और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। नाबार्ड से लिए गए ऋण को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास प्राधिकरण (एनआरआईडीए) के माध्यम से चैनलाइज किया जाता है। मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी बताया गया कि 8 दिसंबर 2021 को आयोजित बैठक में, कैंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, ईबीआर तंत्र को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और सकल बजटीय सहायता के माध्यम से योजना की लागत को पूरा करना, वित्त मंत्रालय के समन्वय में किया जा रहा है।

33. पीएमएवाई-जी के तहत निधियों के आवंटन और जारी करने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, समिति नोट करती है कि पीएमएवाई-जी के तहत 3,38,58,173.55 लाख रुपये की धनराशि के कुल आवंटन में 2,12,00,739.29 लाख रुपये का कैंद्र का हिस्सा है और 1,26,57,446.26 रुपये का राज्य का हिस्सा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान कैंद्र सरकार द्वारा 1,65,67,993.40 लाख रुपये जारी किए गए, जबकि राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा 95,92,192.46 लाख रुपये जारी किए गए, जो कुल 2,61,62,186.86 लाख रुपये है। दूसरे शब्दों में, इस स्कीम के अंतर्गत उपयोग की गई कुल निधियां 2,39,50,571.93 लाख रुपए है।

34. समिति द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निधियों के आबंटन और जारी करने के उपर्युक्त बारीक ब्यौरों की जांच से पता चलता है कि इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य का हिस्सा जारी करने के सन्दर्भ में धीमी प्रगति हुई है। समिति का यह भी मानना है कि ईबीआर तंत्र को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और केवल जीबीएस के

माध्यम से योजना की लागत को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट होता है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन और उस पर किए गए व्यय के अनुसार धन की कोई कमी नहीं है। तथापि, इस संबंध में समिति इस योजना के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शुरू किए गए प्रयासों को स्वीकारती है, जो 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के उद्देश्य की दिशा में सरकार की वास्तविक प्रतिबद्धता को संस्थापित करती है। इस क्रम में, समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से अपेक्षा करती है कि वह केंद्रीय हिस्से को समय पर जारी करना सुनिश्चित करके और साथ ही, निधियों को व्यवस्थित रूप से जारी करने हेतु राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में गति बनाए रखे ताकि निधियों का शत-प्रतिशत उपयोग किया जा सके और योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का अभ्यर्पण कम से कम किया सके। समिति, मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि लक्ष्य तिथि के भीतर योजना के कार्य-निष्पादन को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत धनराशि जारी करने के लिए सभी बाधाओं को तुरंत दूर करने हेतु राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की मदद करे। समिति सभा में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर उपर्युक्त सभी पहलुओं पर एक परिष्कृत और परिणामोन्मुखी पद्धति और दृष्टिकोण तैयार करने की दिशा में उठाए गए/उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

पीएमएवाई-जी का केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ आमेलन

35. समिति नोट करती है कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं जैसे शौचालय, एलपीजी, बिजली आदि के साथ अभिसरण के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। इस संबंध में, समिति ने आगे कहा कि शौचालय का प्रावधान पीएमएवाई-जी मकानों के एक अभिन्न अंग के रूप में किया गया है, क्योंकि शौचालय का निर्माण होने के बाद ही घर को पूरा माना जाएगा। शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता स्वच्छ भारत मिशन (जी),

मनरेगा या अन्य समर्पित वित्तपोषण स्रोतों से वित्त पोषण के माध्यम से प्रदान की जानी है। इसके अलावा, यह अनिवार्य है कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थी को मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत घर के निर्माण के लिए अकुशल श्रम घटक के संबंध में वर्तमान दरों पर 90 श्रम दिवस [पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 95 श्रम दिवस] के लिए मजदूरी घटक मिलेगा। समिति ने यह भी नोट किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के दिशानिर्देशों को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि पीएमएवाई-जी लाभार्थी, योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पात्र है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के लाभार्थियों की पहचान सामान्य पैरामीटर अर्थात एसईसीसी 2011 डेटा पर आधारित है, जो पीएमएवाई-जी के सभी लाभार्थियों को सौभाग्य के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ अभिसरण के माध्यम से सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान किया जाना है। पीएमएवाई-जी के तहत, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लाभार्थियों को सौर लालटेन, सौर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और परिवार के आकार अनुसार बायो-गैस संयंत्रों के लिए राष्ट्रीय बायोमास कुक स्टोव कार्यक्रम (एनबीसीपी) के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा, राज्य सरकारों को स्वच्छ भारत मिशन (जी) योजना या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना (योजनाओं) के साथ अभिसरण के माध्यम से पीएमएवाई-जी लाभार्थी परिवारों के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को व्यक्तिगत लाभार्थियों या आवासों की भूमि का विकास, मृदा संरक्षण और सुरक्षा, जैव-बाड़, पक्के रास्ते, पहुंच मार्ग या घर के लिए स्टेप्स आदि सुनिश्चित करने होंगे और मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से, रियायती लागत पर पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को आपूर्ति करने हेतु उनकी

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माण सामग्री जैसे ईंटों आदि का उत्पादन भी करना होगा।

36. समिति ने पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करते हुए पाया कि शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ पीएमएवाई-जी के आमेलन को योजना में शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, इस संदर्भ में समिति चाहती है कि पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के विभागों के साथ समन्वय करने में सक्रिय भूमिका निभाए, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-जी के साथ आमेलित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं ताकि योजना के इच्छित लाभ पीएमएवाई-जी लाभार्थी तक पहुंच सकें। साथ ही, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय को पीएमएवाई-जी के साथ विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण को लागू करने में खामियों और कमियों, यदि कोई हो, की पहचान करने का पुनः प्रयास और उन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

ई-गवर्नेंस मॉडल की तुलना में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के संबंध में निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र

37. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा पीएमएवाई-जी की निगरानी और पर्यवेक्षण के संबंध में दी गई सूचना के अनुसार, समिति ने नोट किया है कि योजना में निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर जोर देते हुए विभिन्न

स्तरों और चरणों में इसके कार्यान्वयन के संबंध में एक व्यापक निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र मौजूद है। समिति को बताया गया कि चिन्हित पीएमएवाई-जी लाभार्थियों, मकानों के निर्माण की प्रगति और फोटोग्राफ और निरीक्षण रिपोर्ट सहित धनराशि जारी करने से संबंधित सभी आंकड़े आवाससॉफ्ट पर डाले गए हैं जो योजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति दोनों के अनुवर्ती कार्रवाई का आधार बनते है। इसके अलावा, मकानों के निरीक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा 'आवास ऐप' नामक एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था, जो अधिकारियों और नागरिकों को निर्माण के विभिन्न चरणों में घर की जियो-टैग, समय और तारीख अंकित तस्वीरों को कैप्चर करने और अपलोड करने का अधिकार देता है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया में समय अंतराल कम हो जाता है। समिति को यह भी बताया गया कि लाभार्थियों को सहायता जारी करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत आवास ऐप का उपयोग करके भू-संदर्भित तस्वीरों को कैप्चर करना और उन्हें आवास सॉफ्ट पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। समिति को यह भी बताया गया है कि मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम) और क्षेत्रीय अधिकारी प्रगति, लाभार्थियों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया आदि का आकलन करने के लिए अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान पीएमएवाई-जी के मकानों का दौरा करते हैं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन, मानीटरिंग और गुणवत्ता पर्यवेक्षण का कार्य करती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में 10% मकानों का निरीक्षण करने और जिला स्तर पर अधिकारियों को यथासंभव 2% मकानों का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। समिति ने नोट किया कि एनआरएलएम के तहत एसएचजी नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक समुदाय आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है और इसके अलावा, कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने और घर के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) की सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। समिति यह भी नोट करती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम

एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें सभी संबंधित पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल है। जहां तक उन लाभार्थियों को सहायता हेतु भुगतान का संबंध है, जिन्हें मकान स्वीकृत किए गए हैं, समिति ने नोट किया है कि यह आवाससॉफ्ट-पीएफएमएस प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में की जानी है। अंत में, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मापदंडों की प्रगति की निगरानी एक समर्पित निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है जो अपेक्षित क्षेत्रों में उपयुक्त हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद कर रहा है। जहां तक अनियमितताओं की गंभीर शिकायतों का संबंध है, समिति को सूचित किया गया था कि मंत्रालय के पैनल में राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं के माध्यम से इनकी जांच की जाती है।

38. समिति ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के संबंध में निगरानी और पर्यवेक्षण में एंड टू एंड ई-गवर्नेंस मॉडल को शामिल करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण आबादी के बीच वेब आधारित एप्लिकेशन का इष्टतम उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण आबादी को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक लाभ पहुँचाने के लिए नियमित अंतराल पर पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके इसके संचालन के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, समिति आश्चर्य व्यक्त करती है कि क्या आवाससॉफ्ट को पीएमएवाई-जी के सभी घटकों के साथ एकीकृत किया गया है, जैसे कि पीएमएवाई-जी के आमेलन पर प्रगति की स्थिति की निगरानी हेतु केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ, जिसके बिना, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की व्यापक निगरानी और पर्यवेक्षण संभव नहीं हो सकती है।

39. चूंकि पीएमएवाई-जी में मकानों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है, इसलिए समिति का मानना है कि यह आवश्यक हो जाता है कि निर्माण प्रशिक्षित और कुशल राजमिस्त्री द्वारा किया जाए। इस संबंध में, समिति ने नोट किया कि राज्यवार लक्ष्यों के साथ 8 सितंबर, 2017 को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी)

दिशानिर्देश जारी किए गए थे। हालांकि, आरएमटी के तहत प्रगति पर निराशा व्यक्त करते हुए, समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 12 अगस्त, 2021 तक नामांकित कुल 2,06,011 राजमिस्त्री में से केवल 1,24,946 राजमिस्त्रियों ने अर्हता प्राप्त की है और उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को पीएमएवाई-जी की व्यवहार्यता के लिए आरएमटी हेतु अधिक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करने और प्रशिक्षित करने के लिए अपने ठोस प्रयास करने चाहिए ताकि मकानों के निर्माण की गुणवत्ता से समझौता न हो और साथ ही प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का कुशल पूल भी बनाया जा सके ताकि भविष्य के लिए उन्हें अधिक रोजगारपरक बनाना जा सके। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

<u>पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीनता के मुद्दे से निपटना</u>

40. श्री भवर सिंह के तात्कालिक अभ्यावेदन की जांच के दौरान समिति ने नोट किया कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी ग्रामीण आवासहीनों (भूमिहीनों सहित) और एसईसीसी, 2011 के आंकड़ों के अनुसार शून्य, एक या दो कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को अपवर्जन प्रक्रिया के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, भूमिहीन लाभार्थी के मामले में, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि प्रदान की जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा दिए गए उत्तरों के अनुसार, भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखकर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और आगे, उन्हें आवास के आवंटन से बाहर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, मकानों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने की स्थिति के अवलोकन के आधार पर, समिति इस तथ्य को नोट

करती है कि पीएमएवाई-जी के पूरे पीडब्ल्यूएल में अब तक चिन्हित कुल 4,38,579 भूमिहीन लाभार्थियों में से केवल 2,19,691 (50.09%) को मकानों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की गई है। इसके अलावा, केवल 4,333 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और अभी भी 2,14,755 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि खरीदने के लिए भूमि या वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना शेष है।

41. समिति, मंत्रालय के इस तर्क की सराहना करते हुए कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के मुद्दों की समीक्षा की जा रही है और राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा उच्चतम स्तर पर इसे निपटाया जा रहा है, इस बात से अप्रसन्न है कि किए गए प्रयासों के बावजूद, लगभग आधे भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि खरीद के लिए भूमि या वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना बाकी है, जिससे योजना अर्थात 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य की पूर्ति पर प्रश्न चिह्न लग गया है। यद्यपि, यह सर्वविदित रूप है कि सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि की अनुपलब्धता और/अथवा अपर्याप्तता और अतिक्रमण, भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए बोझिल प्रक्रिया और संबंधित राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति की कमी और अज्ञानता आदि के कारण विभिन्न बाधाएं हो सकती हैं, फिर भी इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि राज्यों द्वारा भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें भूमि उपलब्ध कराने के प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह इस तथ्य को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमिहीन लोग सबसे गरीब हैं और आमतौर पर समाज के हाशिए के वर्गों से संबंधित हैं। इसलिए, समय की मांग है कि योजना के मौजूदा प्रावधानों की कमियों की पहचान की जाए और उन्हें स्वीकार किया जाए और एक हस्तक्षेप उपकरण तैयार किया जाए जिसका उद्देश्य भूमिहीन ग्रामीण आबादी की आवास समस्या को हल करना हो। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए भूमि की खरीद के लिए भूमि या वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में गैर/खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ संपर्क करना चाहिए, ताकि ऐसी बाधाओं को दूर किया जा सके ताकि लंबित

मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके और हल किया जा सके। समिति इस दिशा में प्रगति करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए नए कदमों से अवगत होना चाहेगी और इस संबंध में सकारात्मक परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

पीएमएवाई-जी के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को सशक्त बनाना

42. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा दिए गए उत्तर से समिति इस तथ्य को नोट करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर, पीएमएवाई-जी लक्ष्य का 60% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जाना है। इसे बनाए रखने के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित लक्ष्य का 60% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जाना है, बशर्ते कि एसईसीसी, 2011 सूची के अनुसार तैयार की गई और ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की उपलब्धता हो। तथापि, निर्धारित लक्ष्यों के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों का अनुपात संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाना है। समिति ने आगे नोट किया कि पीएमएवाई-जी के तहत, जहां तक संभव हो, कुल निधि का 15% राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए भी निर्धारित किया जाना है। समिति ने यह भी नोट किया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के मद्देनजर, राज्यों को, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तर पर लाभार्थियों में से 5% दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) से हो। पीएमएवाई-जी के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को सशक्त बनाने के संदर्भ में, समिति को मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की प्राथमिकता श्रेणी-वार अर्थात् एससी/एसटी, अल्पसंख्यक और अन्य, से बनाई जा रही है। इसके अलावा, दिव्यांगजनों हेतु, परिवार में किसी भी दिव्यांग सदस्य और किसी भी अक्षम वयस्क सदस्य वाले परिवारों के संबंध में भी प्राथमिकता मौजूद है। इसके अलावा, विशेष रूप से

दिव्यांगजनों, विधवा, बंधुआ मजदूरों, मैनुअल कैजुअल स्कैवेंजर आदि के लिए प्राथमिकता को बदलने की अनुमति दी गई है।

43. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रोटी, कपड़ा और मकान एक मनुष्य की आधारभूत जरूरतें हैं तथा पीएमएवाई-जी प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य ऐसी ही एक आधारभूत आवश्यकता प्रदान करना है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जो आवास की कमी का सामना कर रहे हैं, को किफायती मूल्य पर आवास प्रदान करना। इस संदर्भ में, समिति इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालना चाहती है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास, अल्पसंख्यकों के कल्याण, दिव्यांगजनों की देखभाल और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी माध्यम/उपकरण सिद्ध हो सकती है। तथापि, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के संबंध में सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि के सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर, समिति यह जानकर अप्रसन्न है कि 21.04.2022 की स्थिति के अनुसार एसईसीसी, 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे 'समूहों' से 4,14,63,821 चिन्हित पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की कुल संख्या में से 2,15,72,575 ग्राम सभा द्वारा रिमांड के पश्चात अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में बने हुए हैं। इसके अलावा, आवास+ डेटाबेस के अनुसार, ऐसे 'समूहों' से शेष पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की कुल संख्या 2,41,34,689 थी और उनमें से 1,10,75,951 अभी भी 21.04.2022 तक ग्राम सभा द्वारा रिमांड के बाद अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में बने हुए हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को समाज के उपर्युक्त आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित रिमांड मामलों के संबंध में स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के निपटान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ मामले को तत्काल उठाना चाहिए ताकि इन श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर पीएमएवाई-जी आवास के आबंटन को स्वीकृति दी जा सके। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन को सभा में

प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर मंत्रालय द्वारा किए गए तत्काल उपचारात्मक उपायों और इस मामले में अद्यतन स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाए। समिति इस संबंध में सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा करना चाहेगी।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा पीएमएवाई-जी के आकलन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन

44. समिति ने नोट किया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय समय-समय पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), नीति आयोग और सामान्य समीक्षा मिशन के माध्यम से पीएमएवाई-जी के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करता रहा है। समिति ने मंत्रालय की टिप्पणियों के आलोक में ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों की व्यापक टिप्पणियों और निष्कर्षों की जांच करते हुए पाया कि मंत्रालय की ओर से कतिपय टिप्पणियों/निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई अभी भी लंबित है। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को उपर्युक्त एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन/परिणाम समीक्षा की सभी प्रमुख टिप्पणियों और निष्कर्षों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लंबित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए उन पर सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय और कदम उठाए जाएं। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

अभ्यावेदनकर्ता, श्री भवर सिंह से संबंधित मुद्दे

45. जहां तक अभ्यावेदनकर्ता, श्री भवर सिंह द्वारा अपने तत्काल अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों का संबंध है, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि चूंकि अभ्यावेदनों में उल्लिखित घूरी, हथियाभित और

मोहनापुर गांवों के 54 (22+32) परिवारों का पूरा ब्यौरा (अर्थात संबंधित ग्राम पंचायत के नाम) उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह जांच नहीं की जा सकी कि क्या वे पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं या नहीं। समिति को यह भी सूचित किया गया कि चैल/नेवादा/मूरतगंज के ब्लॉक/तहसील की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में कोई ग्राम पंचायत नामत: चैल खास, घूरी, हथियाभीत और मोहनापुर नहीं है, जैसा कि अभ्यावेदनों में उल्लिखित है और इसलिए, केन्द्रीय स्तर पर स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के ब्यौरों में उनकी उपलब्धता की जांच करना तब तक व्यवहार्य नहीं है जब तक कि ग्राम पंचायत के बारे में सूचना प्रदान नहीं की जाती है। इस संबंध में, समिति को यह भी सूचित किया गया कि चूंकि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी को लागू कर रहे हैं, इसलिए पीएमएवाई-जी के तहत घर के आवंटन के लिए अभ्यावेदन, मंत्रालय के दिनांक 7 जनवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके और आवेदकों को सीधे मंत्रालय को सूचित करके उत्तर प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार के दिनांक 25 अप्रैल, 2022 के पत्र के माध्यम से दिए गए उत्तर के अनुसार, नेवादा और मूरतगंज ब्लॉकों में 54 आवेदक परिवारों में से 25 अपात्र पाए गए। शेष पात्र आवेदकों में से 6 आवेदकों को पहले ही पीएमएवाई-जी आवास प्रदान किए जा चुके हैं और शेष 23 आवेदकों को अभी तक आवास प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेष सभी 23 पात्र आवेदकों को भी पीएमएवाई-जी आवास प्रदान किए जाएं, यदि वे सभी प्रासंगिक मानदंडों को पूरा करते हैं। समिति सभा में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर इस संबंध में सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा करती है।

नई दिल्ली;

12 दिसंबर, 2022

21 अग्रहायण, 1944(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति

अनुबंध-I

जे-11060/12/2018-आरएच
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 07.01.2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए श्री भवर सिंह के अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे याचिकाओं की समिति शाखा (Committee on Petitions Branch), लोक सभा सचिवालय, के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/CPB/2019/R-66 दिनांकित 19.12.2019 को अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है जिसके द्वारा श्री भवर सिंह, प्रान्तीय संघर्ष वाहिनी मीडिया प्रभारी, स्वादेशी जागरण मंच, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अदिनांकित 2 अभ्यावेदनों को प्रेषित किया गया है। श्री भवर सिंह ने अपने अभ्यावेदन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला- कौशाम्बी की तहसील- चायल के ब्लॉक- नेवादा के ग्राम- घूरी और ब्लॉक- मूरतगंज के ग्राम-हथियाभीट के परिवारों की सूची संलग्न कर उन्हें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अभ्यावेदन पर योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवाश्यक कार्यवाही करके इस मंत्रालय की सूचना के तहत अभ्यावेदक को एक उत्तर प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

अनिल

(अनिल कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित : श्री भवर सिंह,निवासी ग्राम- हुसेनगई, पो.- गौसपुर, वि.खं.- मूरतगंज, थाना- पूरामुफ्ती, तहसील- चायल, जनपद- कौशाम्बी, उ.प्र.।

State-wise and year wise (Calendar Year wise) list of representations/ requests received from the applicants physically or through CPGRAMS for allotment of house under IAY/ PMAY-G during last 5 years

S. No.	State Name	Request received from the applicants through CPGRAMS						Physical Request received from the applicants						Total
		2015	2016	2017	2018	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
1	Andaman And Nicobar Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	0	1	0	3	6	10	1	0	1953	1256	277	3487	3497
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Assam	1	3	2	3	1	10	3	22	0	0	0	25	35
5	Bihar	0	1	4	9	20	34	10	1	8	13	2	34	68
6	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Chhattisgarh	0	1	0	1	7	9	6	0	12	7	1	26	35
8	Dadra and Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Daman and Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4
11	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gujarat	0	0	0	0	2	2	31	2	2	0	0	35	37
13	Haryana	0	1	2	3	6	12	4	1	8	6	3	22	34
14	Himachal Pradesh	0	0	0	1	0	1	1	8	0	3	0	12	13
15	Jammu And Kashmir	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	3
16	Jharkhand	0	1	2	2	8	13	37	0	1	3	2	43	56
17	Karnataka	0	0	0	0	4	4	1	0	1	8	0	10	14
18	Kerala	0	1	3	2	4	10	0	0	0	0	0	0	10
19	Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Madhya Pradesh	0	1	6	11	26	44	21	0	19	43	1	84	128
22	Maharashtra	0	2	0	2	5	9	3	2	0	1	0	6	15
23	Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Odisha	0	1	1	9	13	24	0	0	2	1	0	3	27
28	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Punjab	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	2	3	7
30	Rajasthan	0	1	3	4	19	27	1	0	22	26	4	53	80
31	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Tamilnadu	0	1	1	3	6	11	1	0	2	15	1	19	30
33	Telangana	0	0	1	4	1	6	0	0	0	0	0	0	6
34	Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Uttar Pradesh	0	3	19	103	689	814	38	0	34	82	3869	4023	4837
36	Uttarakhand	0	0	0	1	3	4	123	2	5	247	0	377	381
37	West Bengal	0	0	2	2	30	34	5	1	188	543	463	1200	1234
	Total	1	18	46	165	857	1087	287	39	2257	2255	4626	9464	10551

याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की इक्कीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 19 मई, 2022 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री हरीश द्विवेदी - सभापति

सदस्य

2. श्री हनुमान बेनीवाल
3. डॉ. सुकान्त मजूमदार
4. श्री अरविंद सावंत
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्री सुशील कुमार सिंह
7. श्री मनोज तिवारी
8. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
9. श्री राजन बाबूराव विचारे

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2.	श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3.	श्री जी. सी. डोभाल	-	अपर निदेशक

साक्षीगण

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

1. श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा – सचिव
2. डॉ. आशीष कुमार गोयल – अपर सचिव
3. श्री गया प्रसाद – उप महानिदेशक

***

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया।]

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद, माननीय सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया।

4. तत्पश्चात, समिति ने श्री भवर सिंह के अभ्यावेदन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखित साक्ष्य लिया जिसमें प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभ दिए जाने और तत्संबंधी अन्य मुद्दों के लिए अनुरोध किया गया था। तथापि, समिति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुनने से पूर्व निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगें:-

(i) पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना, 2011 के आकड़ों पर आधारित है। इस तथ्य के बावजूद, क्या कारण है कि अत्यधिक गरीब लोग और अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति उक्त आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं?

(ii) कितने वर्षों में पीएमएआई-जी के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को आवास मिल पाएगा?

(iii) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के लिए मकानों के निर्माण और आवंटन के बाद, यदि ऐसी आवास इकाइयों को मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान मौजूद है? यदि हां, तो ये प्रावधान क्या हैं?

(iv) क्या पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थी परिवारों को आवास सुविधाओं के साथ बिजली, पानी, सड़क आदि जैसी मूलभूत सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं?

(v) इस तथ्य के दृष्टिगत कि पीएमएवाई-जी के आरम्भ हुए लम्बा समय बीत चुका है, इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है?

(vi) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थी परिवारों की सूची का विगत तीन वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, काफ़ी संख्या में लाभार्थी परिवार इससे बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में, क्या इस सूची के अद्यतन सम्बन्धी वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा की आवश्यकता है ताकि बाहर हो चुके पात्र परिवारों को शामिल किया जा सके?

(vii) क्या फर्जी आवेदकों को सूची से बाहर करने के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों हेतु विद्यमान सत्यापन तंत्र त्रुटिरहित है?

(viii) क्या पीएमएवाई-जी के प्रभावी कार्यान्वयन के विनियमन, निरीक्षण, फीडबैक आदि के लिए कोई तंत्र मौजूद है?

(ix) चूंकि पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि वास्तविक स्वीकृत राशि से बहुत अधिक है, प्राथमिकता सूची बनाने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है? क्या ये मानदंड पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने हेतु सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु व्यापक हैं?

5. इसके उत्तर में, समिति के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं-

(i) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान शुरू में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी-2011) के आंकड़ों के आधार पर की गई। पीएमएवाई-जी योजना के तहत, एसईसीसी-2011 के अनुसार स्वत: बाहर होने की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले घरों को छोड़कर बेघर अथवा दो या उससे कम कमरे वाले कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पात्र लाभार्थियों के रूप में माना जाता था। ऐसे पात्र लाभार्थियों की सूची में 4.03 करोड़ परिवार शामिल हैं। इस सूची को ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था। सूची से असंतुष्ट परिवार एडीएम स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जिला

स्तरीय अपीलीय समिति से संपर्क कर सकते हैं।समिति के निर्णय के अनुसार कुछ परिवार पात्र पाए पाए जाने की स्थिति में,ऐसे परिवारों को भी सूची में शामिल किया गया और इस प्रकार कुल 2.95 करोड़ परिवार पात्र पाए गए और उन्हें इस योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए। हालांकि भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि इनमें से कुछ परिवार पात्र होने के योग्य नहीं थे क्योंकि उनमें से कुछ के पास अपने पक्के घर थे जिन्हें उन्होंने बेच दिया था कुछ स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर चले गए थे कुछ के पास उनके उत्तराधिकारी नहीं थे आदि। ऐसे अपात्र परिवारों को बाहर करने के बाद अंतिम सूची में 2.15 करोड़ परिवार बचे। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 80 लाख के अंतर के कारण फिर से आवास++ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक बचे हुए घरों को शामिल करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। हालांकि लगभग 3.57 करोड़ परिवारों ने अपना पंजीकरण कराया। ऐसी अप्रत्याशित संख्या का कारण इस योजना का अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से परिवारों के उप-विभाजन को माना जाता है। इसलिए इस बार बाहर करने सम्बन्धी मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया और इसके परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ परिवार अंतिम सूची में जगह बना सके। तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य आवंटित किया गया और प्राथमिकता सूची के अनुसार इस योजना को लागू करने के लिए कहा गया।

(ii) श्री भवर सिंह के वर्तमान प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में, पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों की कुल संख्या 54 है जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 25 परिवार अपात्र पाए गए।बचे हुए 6 परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है।बचे हुए परिवारों को उचित सत्यापन के बाद प्राथमिकता सूची के अनुसार सहायता दी जाएगी।

(iii) अब तक पीएमएवाई-जीके तहत कुल 1, 81, 38, 509 आवास बनाए गए हैं जबकि कुल 2, 39, 69, 592 परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हो गए हैं। 2.95 करोड़ परिवारों का अनुमानित लक्ष्य मार्च, 2024 में पूरा होना है।

(iv) पीएमएवाई-जी के तहत बने आवासों की मरम्मत के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

(v) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चार सुविधाएं उल्लिखित हैं:-

(क) स्वच्छ भारत मिशन (जी), मनरेगा और कोई अन्य समर्पित वित्तीय स्रोत के तहत शौचालय के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 12, 000 रु. तक की सहायता मिलती है।

(ख) परिवारों को इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है।

(ग) परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जलापूर्ति कनेक्शन भी मिलता है और

(घ) परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिल रहे हैं।

(vi) पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण निम्नानुसार किया जाता है:-

(क) पंचायत की दीवारों की पेंटिंग के माध्यम से लाभार्थियों का अभिमुखीकरण और संवेदीकरण किया जा रहा है जिसमें उस वर्ष की प्राथमिकता सूची/स्थायी प्रतीक्षा सूची दशाई जाती है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को खंड अथवा जिला स्तर पर मिलने वाले लाभों के विवरण सम्बन्धी सूचना, जैसे कि, इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं, किश्तों की संख्या जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, शिकायतें कैसे दर्ज की जा सकती हैं, आदि दिए जाते हैं।

(ग) 10 % आवासों का निरीक्षण खंड स्तर के अधिकारियों तथा 2 % आवासों का निरीक्षण जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(घ) मंत्रालय स्तर के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) दिशा समितियों के द्वारा भी निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(च) प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक ऑडिट किए जाने का भी प्रावधान है।

(छ) मनरेगा से अलग, पीएमएवाई-जी के तहत लोकपाल का प्रावधान नहीं है। हालांकि, मनरेगा के लोकपाल को पीएमएवाई-जी सम्बन्धी मामलों की देख-रेख की भी जिम्मेदारी भी सौंपी है।

(ज)प्रतिष्ठित संस्थानों के संकाय सदस्यों और जांचकर्ताओं द्वारा गठित राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम)विभिन्न मानदंडों, ट्रेंडों आदि की प्रगति के मूल्यांकन और लाभार्थियों के संतुष्टि के स्तर सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-जी आवासों को देखते के लिए क्षेत्रीय दौरें करते हैं।प्रत्येक वर्ष लगभग 5000 ग्राम पंचायतों का एनएलएम के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है जिसके आधार पर यह पाया गया कि तीन चौथाई लाभार्थी 'पूरी तरह संतुष्ट', एक चौथाई लाभार्थी 'कुछ हद तक संतुष्ट'और कुल लाभार्थियों का लगभग 1 % 'असंतुष्ट'हैं।

(vii) यदि पीएमएवाई-जी के तहत आवास अपात्र भूमि आदि पर बना पाया जाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है।ऐसी घटनाएं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई के कारण होती हैं जो भूमि के उचित सत्यापन के बिना आवासों के निर्माण के लिए आवंटन और स्वीकृति देते हैं।इसप्रकार, ऐसे लाभार्थियों की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) की है।

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनने के बाद, समिति ने अपने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं:-

(i) मंत्रालय जिम्मेदारी के निर्धारण और लापरवाह सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई शुरू करने के साथ

पीएमएवाई-जी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कठोर निगरानी, पर्यवेक्षण, और निरीक्षण को सुनिश्चित करेगा।

(ii) मंत्रालय संसद सदस्य (सदस्यों) की सक्रिय भागीदारी और दिशा समितियों को सुदृढ़ करने के तौर-तरीकों पर काम करना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए दिशा समितिओं की भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए।

[तत्पश्चात्, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधि वापस चले गए।]

7.	***	***	***	***	***	***
8.	***	***	***	***	***	***
9.	***	***	***	***	***	***
10.	***	***	***	***	***	***
11.	***	***	***	***	***	***
12.	***	***	***	***	***	***
13.	***	***	***	***	***	***

तत्पश्चात्, सिमति की बैठक स्थगित हुई।

*** इस प्रतिवेदन से सम्बंधित नहीं है।

गोपनीय

याचिका समिति की पच्चीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

याचिका समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की पच्चीसवीं बैठक सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को दोपहर 1500 बजे से 1700 बजे तक, समिति कक्ष 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध (विस्तार), नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री हरीश द्विवेदी - अध्यक्ष

सदस्य

2. **श्री एंटो एन्टोनी**
3. **श्री हनुमान बेनीवाल**
4. **श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक**
5. **डॉ जयंत कुमार रॉय**
6. **श्री अरविन्द सावंत**
7. **श्री बृजेन्द्र सिंह**
8. **श्री सुनील कुमार सिंह**

सचिवालय

1. **श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव**
2. **श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक**

2. प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने निम्न प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विचार किया:-

(i) *** *** *** *** *** ***

(ii) *** *** *** *** *** ***

(iii) *** *** *** *** *** ***

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजनाके अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए (जी-पीएमएवाई) ग्रामीण-अनुरोध और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के विषय में श्री भवर सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिवेदन;

(v)	***	***	***	***	***	***
(vi)	***	***	***	***	***	***
(vii)	***	***	***	***	***	***

4. उपर्युक्त प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद समिति ने मामूली संशोधनों के बाद इन प्रतिवेदनों को स्वीकृत किया। समिति ने अध्यक्ष को प्रतिवेदनों के प्रारूपों को अंतिम रूप देने और उन्हें सदन में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

***